

# 1062

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I.A. NO. 9/2026

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 915/2024

**IN THE MATTER OF:**

AMIT KUMAR

...APPLICANT(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENT(s)

**INDEX**

| S. NO. | PARTICULARS  | PAGE NO. |
|--------|--|----------|
| 1.     | REPLY BY THE RESPONDENT NO. 7, DIVISIONAL FOREST OFFICER, SHAMLI TO I.A. NO. 9/2026 FILED BEFORE THE HON'BLE NATIONALGREEN TRIBUNAL  |          |
| 2.     | A COPY OF THE REVENUE RECORDS WHEREIN THE PRESENT IMPLEADERS HAVE ENCROACHED THE FOREST LAND ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1   |          |
| 3.     | COPIES OF THE SHOW CAUSE NOTICES AS WELL AS THE EVICTION NOTICES ISSUED UNDER SECTION 61-B OF THE INDIAN FOREST ACT, 1927 ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-2 |          |

1063

|    |  |  |
|----|--|--|
| 4. | A COPY OF THE HZ CASES IS ANNEXED<br>HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3                     |  |
| 5. | A COPY OF THE JUDGMENT DATED 12.12.1996 IS<br>ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS<br>ANNEXURE-4 |  |

**THROUGH COUNSEL**



BHANWAR PAL SINGH JADON  
COUNSEL FOR RESPONDENT NO. 7  
[bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:bhanwar09jadon@gmail.com) | 6375115224

**DATE: 13.01.2025**

**PLACE: NOIDA**

**1064**  
**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**I.A. NO. 9/2026**

**IN**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 915/2024**

**IN THE MATTER OF:**

**AMIT KUMAR**

**...APPLICANT(s)**

**VERSUS**

**UNION OF INDIA & ORS.**

**...RESPONDENT(s)**

**REPLY BY THE RESPONDENT NO. 7, DIVISIONAL FOREST OFFICER,**  
**SHAMLI TO I.A. NO. 9/2026 FILED BEFORE THE HON'BLE**  
**NATIONALGREEN TRIBUNAL**

I, Jagdev Singh, aged about 59 years, S/o Shri Late Badri Prasad, Posted as Divisional Forest Officer, Shamli, State of U.P., do hereby most solemnly state and affirm as under:

1. That I, Jagdev Singh, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.
2. That the present affidavit is being filed in opposition to the Application for Intervention/Impleadment filed by the applicants. The said application is



*[Handwritten Signature]*

misconceived, misleading, legally untenable and liable to be dismissed.

3. That the applicants have deliberately attempted to project a false narrative of absence of notice and denial of hearing, whereas in fact all actions have been taken strictly in accordance with law, after public proclamation (munadi), joint demarcation and issuance of notices granting opportunity of hearing.
4. That it is submitted that the demarcation of the forest land has been carried out by the forest department as per the law and in compliance of the directions issued by the Hon'ble Tribunal. As stated by the Deponent in previous affidavits filed before the Hon'ble Tribunal, process of demarcation has been duly completed by the forest department on 30.09.2025. It is respectfully submitted that the demarcation of the forest land has been carried out in coordination with the **Revenue Department**, and the said land is duly covered under the **notifications issued under Sections 4 and 20 of the Indian Forest Act, 1927**(*notification issued under Section 4 and 20 are annexed as ANNEXURE-1 in reply to IA No. 7/2026 dated 08.01.2025*). It is further submitted that the said land is recorded in the revenue records in the name of the Forest Department, thereby clearly establishing its status as forest land.



5. That demarcation and measurement were carried out in all 7 villages after due public proclamation (munadi) in the presence of villagers, officials of the Revenue Department and officials of the Forest Department. The entire exercise was transparent, open and participatory. Hence, the plea of ignorance is false and an afterthought.

6. That it is submitted before the Hon'ble Tribunal that as per the revenue records, the Applicants/impleaders have encroached upon the forest land. **It is pertinent to note that the land have been transferred to the forest department subsequent to the following of the procedure by the Forest Settlement Officer.** The land was transferred to the forest department after no claims/objections were made against the transfer of the land to the forest department.

A copy of the revenue records wherein the present impleaders have encroached the forest land are annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1.**

7. That during demarcation, the forest department has identified the encroachments in the forest land pursuant to which show cause notices under



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized cursive script.

section 72 (1) (B) of the IFA have been issued to the encroachers, encroaching upon the forest land notified under Section 4 and 20 of the IFA, granting them time to put their arguments/objections/claims and relevant documents before the Deponent.

8. That it is respectfully submitted that the Deponent has, in accordance with law, issued eviction notices under Section 61-B of the Indian Forest Act, 1927 to Impleader Nos. 1, 6,12, 13, 14, 15 and 16 encroaching upon the forest land notified under section 20 of the IFA, 1927, and show cause notices have been issued to Impleader Nos. 2, 3, 4, 8, 9, 10 11,17,18, and 19 encroaching the forest land notified under section 4 of the IFA, 1927. It is further submitted that the land of Impleader Nos. 5 and 7 does not fall within forest land, and therefore, no show cause notice has been issued to the said impleaders. Copies of the show cause notices as well as the eviction notices issued under Section 61-B of the Indian Forest Act, 1927 are annexed herewith and collectively marked as **ANNEXURE-2**.

9. That thereafter, upon not getting any sustainable objections/claims from all the encroachers, the Forest Department has registered H2 case against the impleaders no. 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19.

A copy of the H2 cases is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3**.



10. That the details of impleaders and their status of notice are as follows:

| Applicant No. | Name of Applicant | Parent / Spouse Name | Village           | Khasra No. | Status / Remarks   |
|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------|--|
| 1             | Subhash           | Brajpal              | Bibipur Jalalabad | 144        | Notice issued- (IFA section 20 land) eviction notices under Section 61-B of the Indian Forest Act, 1927  |
| 2             | Satish kumar      | Vikram               | Ratond            | 479        | Notice issued- Notice issued-Land under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927                         |
| 3             | Ishwar            | Prakash              | Ratond            | 479        | Notice issued- Notice issued-Land under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927                         |
| 4             | Umesh             | Kubadi               | Ratond            | 479        | Notice issued- Notice issued-Land under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927                         |
| 5             | Aadesh            | Kubadi               | Ratond            | —          | <b>No notice issued, land does not fall within the forest area</b>                                       |
| 6             | Shokindra         | Harbir               | Bibipur jalalabad | 155        | Notice issued – (IFA section 20 land) eviction notices under Section 61-B of the Indian Forest Act, 1927 |
| 7             | Naresh            | Balajor              | Ratond            | —          | <b>No notice issued, land does not fall within the forest area</b>                                       |
| 8             | Jaipal            | Paltu                | Akbarpur Sunehati | 120        | Notice issued-Land under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927  |



*(Handwritten signature)*

| Applicant No. | Name of Applicant | Parent / Spouse Name | Village           | Khasra No. | Status / Remarks   |
|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------|--|
| 9             | Lakhmi            | Paudda               | Akbarpur Sunehati | 221        | Notice issued- Land under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927                                       |
| 10            | Karmveer          | Hukma                | Akbarpur Sunehati | 221        | Notice issued Notice issued-Land under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927                          |
| 11            | Motiram           | Samera               | Akbarpur Sunehati | 120        | Notice issued- Notice issued-Land under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927                         |
| 12            | Krishnapal        | Mahasingh            | Bibipur Jalalabad | 140        | Notice issued – (IFA section 20 land) eviction notices under Section 61-B of the Indian Forest Act, 1927 |
| 13            | Soma (Sompal)     | Chandrbhan           | Bibipur Jalalabad | 134        | Notice issued- (IFA section 20 land) eviction notices under Section 61-B of the Indian Forest Act, 1927  |
| 14            | Jaybeer           | Rajsingh             | Bibipur Jalalabad | 125        | Notice issued- (IFA section 20 land) eviction notices under Section 61-B of the Indian Forest Act, 1927  |
| 15            | Suneel Kumar      | Brijpal              | Bibipur Jalalabad | 125        | Notice issued- (IFA section 20 land) eviction notices under Section 61-B of the Indian Forest Act, 1927  |
| 16            | Sanjay            | Ratan Singh          | Bibipur Jalalabad | 133        | Notice issued- (IFA section 20 land) eviction notices under Section 61-B of the Indian Forest Act, 1927  |
| 17            | Tassvar           | Asgar                | Bibipur hatiya    | 270 ख      | Notice issued- Notice  |



| Applicant No. | Name of Applicant | Parent / Spouse Name | Village        | Khasra No. | Status / Remarks   |
|---------------|-------------------|----------------------|----------------|------------|--|
|               |                   |                      |                |            | issued-Land under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927)                        |
| 18            | Shamshad          | Vakeel               | Bibipur hatiya | 270 ख      | Notice issued- Notice issued-Land under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 ) |
| 19            | Harun             | Abdul Shakur         | Bibipur hatiya | 270 ख      | Notice issued- Notice issued-Land under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927)  |

11. That it is submitted before the Hon'ble that ample opportunities have been granted by the forest department to raised objections, as per law, however, none of the present applicants/impleaders have approached the forest department to make the claim. Therefore, the land in question being the forest land, the forest department is entitled to carry the proceedings forward and carry out the removal of encroachments from the forest land so that it may be remediated in compliance of the directions issued by the Hon'ble Tribunal.

12. That it is further pertinent to note that the Hon'ble Supreme Court in *W.P.(Civil) No. 171/96 "T.N. GODAVARMAN THIRUMULKPAD vs UOI & Ors."* vide judgment dated 12.12.1996 has expressly stated "The term "forest



1071

land", occurring in Section 2, will not only include "forest" as understood in the dictionary sense, but also any area recorded as forest in the Government record irrespective of the ownership."

A copy of the judgment dated 12.12.1996 is annexed herewith and marked as ANNEXURE-4.

13.Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

14.I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

  
DEPONENT

**VERIFICATION**

Verified at Shamli on this 13 day of January, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 14 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

  
DEPONENT

RIT/LIT SIGNATURE OF DEPONENT



  
प्रभागीय वनाधिकारी  
शामली वन प्रभाग  
शामली

himanshu  
म घोषणा करता हूँ कि, शपथ पत्र  
जानता हूँ उसने इस शपथ पत्र पर  
आज मेरे  के सामने जहाँ  
इस्ताक्षर/अंगूठा निश्चयी किया है।

**ATTESTED**  
  
13/1/25  
FARZANA NOTARY  
R.No.-13333/17,SHAMLI





भूलेख - खतौनी  
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

1072  
ANNEXURE 1

Hindi

Bibipur hatiya khasra sankhya 270  
applicant 17,18,19

### उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

10/January/2026 02:52:11 PM

जनपद : शामली

तहसील : कैराना

ग्राम : बीबीपुर हटिया

ग्राम कोड : 110561

फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से  
30 जून, 2024)

खाता संख्या : 00369

श्रेणी : 5-3-क/कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन।

| खातेदार का विवरण        |   | खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण  |             | भूमि का विवरण           |                                      | खातेदार का अंश    |                              |   |
|-------------------------|---|--|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|---|
| खसरा/<br>गाटा<br>संख्या | (2)<br>नाम/पिता-पति-<br>संरक्षक-प्रबंधक का<br>नाम / जाति कोड /<br>आधार नं0 (अन्तिम<br>चार अंक) अथवा पैन<br>नं0 (6-9 स्थान के<br>अंक) / पता /<br>जन्मतिथि (अवयस्क<br>हेतु) | (3)<br>न्यायालय का<br>नाम /<br>कम्प्यूटरीकृत<br>वाद संख्या अथवा<br>आदेश संख्या /<br>आदेश का<br>दिनांक / जोत का<br>आधार | (4)<br>वर्ष | (5)<br>गाटा (यूनीक कोड) | (6)<br>गाटे का कुल<br>क्षेत्रफल(हे०) | (7)<br>हिस्से में | (8)<br>क्षेत्रफल<br>में(हे०) | (9)<br>खातेदार<br>द्वारा देय<br>भू-<br>राजस्व |

|      |                        |                            |        |        |               |      |
|------|------------------------|----------------------------|--------|--------|---------------|------|
| 270ख | 1) वनविभाग / --- / --- | 1073<br>(1105610270200253) | 1.0040 | 1) 1/1 | 1)<br>1.0040  | 0.00 |
|      |                        |                            |        |        | <b>1.0040</b> |      |

|                         |  |  |   |
|-------------------------|--|--|---|
| <b>कुल गाटे :</b><br>एक | <b>कुल क्षेत्रफल :</b> एक दशमलव शून्य शून्य चार शून्य (हेक्टेयर) | <b>कुल भू-राजस्व :</b> शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये | <b>कुल अंश का क्षेत्रफल :</b> एक दशमलव शून्य शून्य चार शून्य (हेक्टेयर) |
|-------------------------|--|--|---|

| नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण  | खारिज किया गया  |  |                        | दर्ज किया गया   |  |                        |
|--|---|--|------------------------|---|--|------------------------|
| (10)<br>न्यायालय का नाम /<br>कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या<br>अथवा आदेश संख्या /<br>आदेश का दिनांक /<br>नामान्तरण का आधार /<br>डिजिटल हस्ताक्षर नाम<br>(पदनाम) / डिजिटल<br>हस्ताक्षर दिनांक | (11)<br>नाम/पिता-पति-संरक्षक-<br>प्रबंधक का नाम / जाति<br>कोड / आधार नं0 (अन्तिम<br>चार अंक) अथवा पैन नं0<br>(6-9 स्थान के अंक) / पता<br>/ जन्मतिथि (अवयस्क हेतु) | (12)<br>गाटे का<br>खसरा<br>नम्बर /<br>यूनीक<br>कोड | (13)<br>क्षेत्रफल(हे०) | (14)<br>नाम/पिता-<br>पति-संरक्षक-<br>प्रबंधक का<br>नाम / जाति<br>कोड / आधार<br>नं0 (अन्तिम<br>चार अंक)<br>अथवा पैन नं0<br>(6-9 स्थान के<br>अंक) / पता /<br>जन्मतिथि<br>(अवयस्क<br>हेतु) | (15)<br>गाटे का<br>खसरा नम्बर<br>/ यूनीक कोड | (16)<br>क्षेत्रफल(हे०) |
|  |   |  |                        |   |  |                        |

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या **1074**

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही ) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

**Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.**



Akbarpur sunehati khasra 120,221  
applicant 8,9,10,11

जो. नं० आकार-पत्र ४५ ३४०

(नियम २७)

जोत नकबन्दी अधिनियम की धारा २७ के अधीन तैयार की गई खतीनी

गांव सुनेहाती पुर सुनेहाती परगना ५ तहसील ७, राजा जिला ३५

| खतीनी-<br>खाता की<br>क्रम-संख्या | खातेदार का नाम, पितृनाम तथा निवास-स्थान | जोत प्राप्त<br>होने का<br>वर्ष | नई माटा<br>संख्या | अंशफल        | खातेदार<br>द्वारा वेत<br>यातलमजदारी<br>या लगान | विशेष विवरण |
|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|--------------|--|-------------|
| 1                                | 2                                       | 3                              | 4                 | 5            | 6  | 7           |
|                                  |   | यौग                            | ६४                | १२६॥॥<br>२+५ | -  |             |
|                                  | यौग अंश १५                              |                                | ६४                | १२६॥॥<br>२+५ | -  |             |
|                                  | पुशा यौग राजा सरदार                     |                                | ६४                | १२६॥॥<br>२+५ | -  |             |
|                                  | आदाब गुल/गुलम                           |                                |                   |              |  |             |
|                                  | अंश                                     |                                |                   |              |  |             |
|                                  | अंश                                     |                                |                   |              |  |             |
|                                  | अंश                                     |                                |                   |              |  |             |





जो० च० प्रकार-पत्र ४५

(नियम १७)

जोत चक्रवर्ती, अधिनियम की धारा २७ के अधीन तैयार की गई खतीनों

दिनांक २३ अक्टूबर परगना तहसील जिला

| खतिदार का नाम, पितृनाम तथा निवास स्थान | जोत प्रारम्भ होने का वर्ष | नई माप संख्या | अक्षर      | खतिदार द्वारा देय माप-माप की या मरान | विशेष विवरण |
|--|---------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| १                                      | २                         | ३             | ४          | ५                                    | ६           |
| श्री विष्णु पुत्र                      |                           | २२१           | ५२         |                                      |             |
|  |                           | २२२           | ५१         |                                      |             |
|  |                           | २२५           | ५५         |                                      |             |
|  |                           | २२६           | १५५<br>+१० |                                      |             |
|  |                           | २२८           | ५२         |                                      |             |
|  |                           | २३२           | ५५<br>४+६  |                                      |             |
|  |                           | २४२ (५)       | ५५         |                                      |             |
|  |                           | २४४           | ५१         |                                      |             |
|  |                           | २४५           | १५५        |                                      |             |
|  |                           | २४६           | ६५<br>२    |                                      |             |
|  |                           | २४७           | ५२         |                                      |             |
|  |                           | ३०३ (५)       | २५३        |                                      |             |
|  |                           | ४१३           | ५५५<br>३+२ |                                      |             |
|  |                           | ५४० (५)       | ६५<br>२    |                                      |             |





### जो० च० प्रकार-पत्र ४५

(नियम १०)

336

जोत चकचन्वी अधिनियम की धारा २७ के अधीन तैयार की गई खतीनी

पुष्पवतीपुर सुन्दर कर्मना तहसील अरुणा जिला २०२५

| जोतेदार का नाम, पितृनाम तथा निवास स्थान | जोत प्रारम्भ होने का वर्ष | नई गांठा संख्या | म रकम | जोतेदार द्वारा देय जालान्तरी या क्यात | नियंत्रित विवरण |
|---|---------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|-----------------|
| 2                                       | 3                         | 4               | 5     | 6                                     | 7               |
| अन विनाश पुष्पती                        | X                         | 938             | 1/2   |                                       |                 |
|   |                           | 940/6           | 1/2   |                                       |                 |
|   | X                         | 948             | 1/2   |                                       |                 |
|   | X                         | 941             | 1/8   | 105                                   |                 |
|   | X                         | 920             | 1/2   |                                       |                 |
|   |                           | 942             | 1/9   | 112                                   |                 |
|   |                           | 943             | 6/8+6 |                                       |                 |
|   | X                         | 948             | 2/9   |                                       |                 |
|   | X                         | 946             | 1/8   |                                       | 59              |
|   |                           | 947             | 1/8   |                                       |                 |
|   |                           | 940/6           | 1/9   |                                       |                 |
|   |                           | 949             | 1/8   |                                       |                 |
|   |                           | 948             | 3/8   |                                       |                 |
|   |                           | 946             | 1/9   |                                       |                 |
|   |                           | 947             | 2/9   |                                       |                 |



# 1080

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति) Bibipur jalalabad khasrasankhya 125  
12/Jan/2026 10:00:38 AM applicant 14,15

जनपद: शामली

तहसील: कैराना

ग्राम: बीबीपुर जलालाबाद

ग्राम कोड: 110541

फसली वर्ष: 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30  
जून, 2025)

खाता संख्या: 00251

श्रेणी : 5-3-ख / कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाड़ियों के झुन्ड,झाड़ियाँ इत्यादि हों।

| खातेदार का विवरण        |  | खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण  |             | भूमि का विवरण                    |                                      | खातेदार का अंश    |                              |   |
|-------------------------|--|--|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|---|
| खसरा/<br>गाटा<br>संख्या | (2)<br>नाम/पिता-पति-संरक्षक-<br>प्रबंधक का नाम / जाति<br>कोड / आधार नं0 (अन्तिम<br>चार अंक) अथवा पैन नं0<br>(6-9 स्थान के अंक) / पता /<br>जन्मतिथि (अवयस्क हेतु) | (3)<br>न्यायालय का नाम /<br>कम्प्यूटरीकृत वाद<br>संख्या अथवा आदेश<br>संख्या / आदेश का<br>दिनांक / जोत का<br>आधार | (4)<br>वर्ष | (5)<br>गाटा (यूनीक कोड)          | (6)<br>गाटे का कुल<br>क्षेत्रफल(हे०) | (7)<br>हिस्से में | (8)<br>क्षेत्रफल<br>में(हे०) | (9)<br>खातेदार<br>द्वारा देय<br>भू-<br>राजस्व |
| 125                     | 1) वन विभाग / --- / ---  |  |             | <u>125</u><br>(1105410125000054) | 0.2050                               | 1) 1/1            | 1)<br>0.2050                 |   |
|                         |  |  |             |                                  |                                      |                   | <b>0.2050</b>                |   |

कुल गाटे: एक

कुल क्षेत्रफल: शून्य दशमलव दो शून्य पांच शून्य (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व:

कुल अंश का क्षेत्रफल: शून्य दशमलव दो शून्य पांच शून्य (हेक्टेयर)

| नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण   | खारिज किया गया  |   |                        | दर्ज किया गया  |  |                        |
|---|---|---|------------------------|--|--|------------------------|
| (10)<br>न्यायालय का नाम /<br>कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा<br>आदेश संख्या / आदेश का<br>दिनांक / नामान्तरण का आधार<br>/ डिजिटल हस्ताक्षर नाम<br>(पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर<br>दिनांक | (11)<br>नाम/पिता-पति-संरक्षक-<br>प्रबंधक का नाम / जाति कोड /<br>आधार नं0 (अन्तिम चार अंक)<br>अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के<br>अंक) / पता / जन्मतिथि<br>(अवयस्क हेतु) | (12)<br>गाटे का<br>खसरा नम्बर<br>/ यूनीक<br>कोड | (13)<br>क्षेत्रफल(हे०) | (14)<br>नाम/पिता-पति-<br>संरक्षक-प्रबंधक<br>का नाम / जाति<br>कोड / आधार<br>नं0 (अन्तिम<br>चार अंक)<br>अथवा पैन नं0<br>(6-9 स्थान के<br>अंक) / पता /<br>जन्मतिथि<br>(अवयस्क हेतु) | (15)<br>गाटे का खसरा<br>नम्बर / यूनीक<br>कोड | (16)<br>क्षेत्रफल(हे०) |

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

अभ्युक्ति:

पूर्व आदेशों का विवरण:

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही ) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

1082

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील वरधपुर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

**Software Powered By:** National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

# 1083

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

Ratond khasra sankhya 479  
applicant 2,3,4

03/Nov/2025 06:11:51 PM

जनपद: शामली

तहसील: कैराना

ग्राम: रतौन्द

ग्राम कोड: 110510

फसली वर्ष: 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30  
जून, 2026)

खाता संख्या: 00355

श्रेणी : 5-3-क / कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन।

| खातेदार का विवरण        |  | खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण  |             | भूमि का विवरण                             |                                      | खातेदार का अंश    |                              |   |
|-------------------------|--|--|-------------|---|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|---|
| खसरा/<br>गाटा<br>संख्या | (2)<br>नाम/पिता-पति-संरक्षक-<br>प्रबंधक का नाम / जाति<br>कोड / आधार नं0 (अन्तिम<br>चार अंक) अथवा पैन नं0<br>(6-9 स्थान के अंक) / पता /<br>जन्मतिथि (अवयस्क हेतु) | (3)<br>न्यायालय का नाम /<br>कम्प्यूटरीकृत वाद<br>संख्या अथवा आदेश<br>संख्या / आदेश का<br>दिनांक / जोत का<br>आधार | (4)<br>वर्ष | (5)<br>गाटा (यूनीक कोड)                   | (6)<br>गाटे का कुल<br>क्षेत्रफल(हे०) | (7)<br>हिस्से में | (8)<br>क्षेत्रफल<br>में(हे०) | (9)<br>खातेदार<br>द्वारा देय<br>भू-<br>राजस्व |
| 479                     | 1) वन विभाग / --- / ---  |  |             | <u>479</u><br>( <u>1105100479000053</u> ) | 3.1860                               | 1) 1/1            | 1)<br>3.1860                 |   |
|                         |  |  |             |   |                                      |                   | <b>3.1860</b>                |   |

|              |  |                |   |
|--------------|--|----------------|---|
| कुल गाटे: एक | कुल क्षेत्रफल: तीन दशमलव एक आठ छह शून्य (हेक्टेयर) | कुल भू-राजस्व: | कुल अंश का क्षेत्रफल: तीन दशमलव एक आठ छह शून्य (हेक्टेयर) |
|--------------|--|----------------|---|

| नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण   | खारिज किया गया  |   |                        | दर्ज किया गया  |  |                        |
|---|---|---|------------------------|--|--|------------------------|
| (10)<br>न्यायालय का नाम /<br>कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा<br>आदेश संख्या / आदेश का<br>दिनांक / नामान्तरण का आधार<br>/ डिजिटल हस्ताक्षर नाम<br>(पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर<br>दिनांक | (11)<br>नाम/पिता-पति-संरक्षक-<br>प्रबंधक का नाम / जाति कोड /<br>आधार नं0 (अन्तिम चार अंक)<br>अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के<br>अंक) / पता / जन्मतिथि<br>(अवयस्क हेतु) | (12)<br>गाटे का<br>खसरा नम्बर<br>/ यूनीक<br>कोड | (13)<br>क्षेत्रफल(हे०) | (14)<br>नाम/पिता-पति-<br>संरक्षक-प्रबंधक<br>का नाम / जाति<br>कोड / आधार<br>नं0 (अन्तिम<br>चार अंक)<br>अथवा पैन नं0<br>(6-9 स्थान के<br>अंक) / पता /<br>जन्मतिथि<br>(अवयस्क हेतु) | (15)<br>गाटे का खसरा<br>नम्बर / यूनीक<br>कोड | (16)<br>क्षेत्रफल(हे०) |

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

अभ्युक्ति:

पूर्व आदेशों का विवरण:

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही ) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

1085

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कंप्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

**Software Powered By:** National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

1086

Bibipur jalalabad khasra sankhya 133  
applicant 16

## उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

01/Nov/2025 02:39:45 PM

जनपद: शामली

तहसील: कैराना

ग्राम: बीबीपुर जलालाबाद

ग्राम कोड: 110541

फसली वर्ष: 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30  
जून, 2025)

खाता संख्या: 00251

श्रेणी : 5-3-ख / कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष, झाड़ियों के झुन्ड, झाड़ियाँ इत्यादि हों।

| खातेदार का विवरण        |  | खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण  |             | भूमि का विवरण                    |                                      | खातेदार का अंश    |                              |   |
|-------------------------|--|--|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|---|
| खसरा/<br>गाटा<br>संख्या | (2)<br>नाम/पिता-पति-संरक्षक-<br>प्रबंधक का नाम / जाति<br>कोड / आधार नं0 (अन्तिम<br>चार अंक) अथवा पैन नं0<br>(6-9 स्थान के अंक) / पता /<br>जन्मतिथि (अवयस्क हेतु) | (3)<br>न्यायालय का नाम /<br>कम्प्यूटरीकृत वाद<br>संख्या अथवा आदेश<br>संख्या / आदेश का<br>दिनांक / जोत का<br>आधार | (4)<br>वर्ष | (5)<br>गाटा (यूनीक कोड)          | (6)<br>गाटे का कुल<br>क्षेत्रफल(हे०) | (7)<br>हिस्से में | (8)<br>क्षेत्रफल<br>में(हे०) | (9)<br>खातेदार<br>द्वारा देय<br>भू-<br>राजस्व |
| 133                     | 1) वन विभाग / --- / ---  |  |             | <u>133</u><br>(1105410133000054) | 0.8190                               | 1) 1/1            | 1)<br>0.8190                 |   |
|                         |  |  |             |                                  |                                      |                   | <b>0.8190</b>                |   |

कुल गाटे: एक

कुल क्षेत्रफल: शून्य दशमलव आठ एक नौ शून्य (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व:

कुल अंश का क्षेत्रफल: शून्य दशमलव आठ एक नौ शून्य (हेक्टेयर)

| नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण   | खारिज किया गया  |   |                        | दर्ज किया गया  |  |                        |
|---|---|---|------------------------|--|--|------------------------|
| (10)<br>न्यायालय का नाम /<br>कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा<br>आदेश संख्या / आदेश का<br>दिनांक / नामान्तरण का आधार<br>/ डिजिटल हस्ताक्षर नाम<br>(पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर<br>दिनांक | (11)<br>नाम/पिता-पति-संरक्षक-<br>प्रबंधक का नाम / जाति कोड /<br>आधार नं0 (अन्तिम चार अंक)<br>अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के<br>अंक) / पता / जन्मतिथि<br>(अवयस्क हेतु) | (12)<br>गाटे का<br>खसरा नम्बर<br>/ यूनीक<br>कोड | (13)<br>क्षेत्रफल(हे०) | (14)<br>नाम/पिता-पति-<br>संरक्षक-प्रबंधक<br>का नाम / जाति<br>कोड / आधार<br>नं0 (अन्तिम<br>चार अंक)<br>अथवा पैन नं0<br>(6-9 स्थान के<br>अंक) / पता /<br>जन्मतिथि<br>(अवयस्क हेतु) | (15)<br>गाटे का खसरा<br>नम्बर / यूनीक<br>कोड | (16)<br>क्षेत्रफल(हे०) |

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

अभ्युक्ति:

पूर्व आदेशों का विवरण:

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामान्तरण बही ) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

1088

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कंप्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

**Software Powered By:** National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

# 1089

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

Bibipur jalalabad khasra sankhya 134  
applicant 14

12/Jan/2026 09:56:23 AM

जनपद: शामली

तहसील: कैराना

ग्राम: बीबीपुर जलालाबाद

ग्राम कोड: 110541

फसली वर्ष: 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30  
जून, 2025)

खाता संख्या: 00251

श्रेणी : 5-3-ख / कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाड़ियों के झुन्ड,झाड़ियाँ इत्यादि हों।

| खातेदार का विवरण        |  | खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण  |             | भूमि का विवरण                             |                                      | खातेदार का अंश    |                              |   |
|-------------------------|--|--|-------------|---|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|---|
| खसरा/<br>गाटा<br>संख्या | (2)<br>नाम/पिता-पति-संरक्षक-<br>प्रबंधक का नाम / जाति<br>कोड / आधार नं0 (अन्तिम<br>चार अंक) अथवा पैन नं0<br>(6-9 स्थान के अंक) / पता /<br>जन्मतिथि (अवयस्क हेतु) | (3)<br>न्यायालय का नाम /<br>कम्प्यूटरीकृत वाद<br>संख्या अथवा आदेश<br>संख्या / आदेश का<br>दिनांक / जोत का<br>आधार | (4)<br>वर्ष | (5)<br>गाटा (यूनीक कोड)                   | (6)<br>गाटे का कुल<br>क्षेत्रफल(हे०) | (7)<br>हिस्से में | (8)<br>क्षेत्रफल<br>में(हे०) | (9)<br>खातेदार<br>द्वारा देय<br>भू-<br>राजस्व |
| 134                     | 1) वन विभाग / --- / ---  |  |             | <u>134</u><br>( <u>1105410134000054</u> ) | 0.2460                               | 1) 1/1            | 1)<br>0.2460                 |   |
|                         |  |  |             |   |                                      |                   | <b>0.2460</b>                |   |

|              |   |                |  |
|--------------|---|----------------|--|
| कुल गाटे: एक | कुल क्षेत्रफल: शून्य दशमलव दो चार छह शून्य (हेक्टेयर) | कुल भू-राजस्व: | कुल अंश का क्षेत्रफल: शून्य दशमलव दो चार छह शून्य (हेक्टेयर) |
|--------------|---|----------------|--|

| नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण   | खारिज किया गया  |   |                        | दर्ज किया गया  |  |                        |
|---|---|---|------------------------|--|--|------------------------|
| (10)<br>न्यायालय का नाम /<br>कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा<br>आदेश संख्या / आदेश का<br>दिनांक / नामान्तरण का आधार<br>/ डिजिटल हस्ताक्षर नाम<br>(पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर<br>दिनांक | (11)<br>नाम/पिता-पति-संरक्षक-<br>प्रबंधक का नाम / जाति कोड /<br>आधार नं0 (अन्तिम चार अंक)<br>अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के<br>अंक) / पता / जन्मतिथि<br>(अवयस्क हेतु) | (12)<br>गाटे का<br>खसरा नम्बर<br>/ यूनीक<br>कोड | (13)<br>क्षेत्रफल(हे०) | (14)<br>नाम/पिता-पति-<br>संरक्षक-प्रबंधक<br>का नाम / जाति<br>कोड / आधार<br>नं0 (अन्तिम<br>चार अंक)<br>अथवा पैन नं0<br>(6-9 स्थान के<br>अंक) / पता /<br>जन्मतिथि<br>(अवयस्क हेतु) | (15)<br>गाटे का खसरा<br>नम्बर / यूनीक<br>कोड | (16)<br>क्षेत्रफल(हे०) |

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

अभ्युक्ति:

पूर्व आदेशों का विवरण:

कृपया उक्त खसरे

1091

1092

Bibipur jalalabad khasra sankhya 155  
applicant 6

## उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

12/Jan/2026 09:54:44 AM

जनपद: शामली

तहसील: कैराना

ग्राम: बीबीपुर जलालाबाद

ग्राम कोड: 110541

फसली वर्ष: 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30  
जून, 2025)

खाता संख्या: 00251

श्रेणी : 5-3-ख / कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष, झाड़ियों के झुन्ड, झाड़ियाँ इत्यादि हों।

| खातेदार का विवरण        |  | खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण  |             | भूमि का विवरण                    |                                      | खातेदार का अंश    |                              |   |
|-------------------------|--|--|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|---|
| खसरा/<br>गाटा<br>संख्या | (2)<br>नाम/पिता-पति-संरक्षक-<br>प्रबंधक का नाम / जाति<br>कोड / आधार नं0 (अन्तिम<br>चार अंक) अथवा पैन नं0<br>(6-9 स्थान के अंक) / पता /<br>जन्मतिथि (अवयस्क हेतु) | (3)<br>न्यायालय का नाम /<br>कम्प्यूटरीकृत वाद<br>संख्या अथवा आदेश<br>संख्या / आदेश का<br>दिनांक / जोत का<br>आधार | (4)<br>वर्ष | (5)<br>गाटा (यूनीक कोड)          | (6)<br>गाटे का कुल<br>क्षेत्रफल(हे०) | (7)<br>हिस्से में | (8)<br>क्षेत्रफल<br>में(हे०) | (9)<br>खातेदार<br>द्वारा देय<br>भू-<br>राजस्व |
| 155                     | 1) वन विभाग / --- / ---  |  |             | <u>155</u><br>(1105410155000054) | 1.9460                               | 1) 1/1            | 1)<br>1.9460                 |   |
|                         |  |  |             |                                  |                                      |                   | <b>1.9460</b>                |   |

|              |  |                |   |
|--------------|--|----------------|---|
| कुल गाटे: एक | कुल क्षेत्रफल: एक दशमलव नौ चार छह शून्य (हेक्टेयर) | कुल भू-राजस्व: | कुल अंश का क्षेत्रफल: एक दशमलव नौ चार छह शून्य (हेक्टेयर) |
|--------------|--|----------------|---|

| नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण   | खारिज किया गया  |   |                        | दर्ज किया गया  |  |                        |
|---|---|---|------------------------|--|--|------------------------|
| (10)<br>न्यायालय का नाम /<br>कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा<br>आदेश संख्या / आदेश का<br>दिनांक / नामान्तरण का आधार<br>/ डिजिटल हस्ताक्षर नाम<br>(पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर<br>दिनांक | (11)<br>नाम/पिता-पति-संरक्षक-<br>प्रबंधक का नाम / जाति कोड /<br>आधार नं0 (अन्तिम चार अंक)<br>अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के<br>अंक) / पता / जन्मतिथि<br>(अवयस्क हेतु) | (12)<br>गाटे का<br>खसरा नम्बर<br>/ यूनीक<br>कोड | (13)<br>क्षेत्रफल(हे०) | (14)<br>नाम/पिता-पति-<br>संरक्षक-प्रबंधक<br>का नाम / जाति<br>कोड / आधार<br>नं0 (अन्तिम<br>चार अंक)<br>अथवा पैन नं0<br>(6-9 स्थान के<br>अंक) / पता /<br>जन्मतिथि<br>(अवयस्क हेतु) | (15)<br>गाटे का खसरा<br>नम्बर / यूनीक<br>कोड | (16)<br>क्षेत्रफल(हे०) |

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

अभ्युक्ति:

पूर्व आदेशों का विवरण:

कृपया उक्त खसरे क० प्र० न्त (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त / वक्रय / भू-नक्शा / नामान्तरण बही ) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

1094

## उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

12/Jan/2026 09:53:27 AM

जनपद: शामली

तहसील: कैराना

ग्राम: बीबीपुर जलालाबाद

ग्राम कोड: 110541

फसली वर्ष: 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30  
जून, 2025)

खाता संख्या: 00251

श्रेणी : 5-3-ख / कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष, झाड़ियों के झुन्ड, झाड़ियाँ इत्यादि हों।

| खातेदार का विवरण        |  | खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण  |             | भूमि का विवरण                     |                                      | खातेदार का अंश    |                              |   |
|-------------------------|--|--|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|---|
| खसरा/<br>गाटा<br>संख्या | (2)<br>नाम/पिता-पति-संरक्षक-<br>प्रबंधक का नाम / जाति<br>कोड / आधार नं0 (अन्तिम<br>चार अंक) अथवा पैन नं0<br>(6-9 स्थान के अंक) / पता /<br>जन्मतिथि (अवयस्क हेतु) | (3)<br>न्यायालय का नाम /<br>कम्प्यूटरीकृत वाद<br>संख्या अथवा आदेश<br>संख्या / आदेश का<br>दिनांक / जोत का<br>आधार | (4)<br>वर्ष | (5)<br>गाटा (यूनीक कोड)           | (6)<br>गाटे का कुल<br>क्षेत्रफल(हे०) | (7)<br>हिस्से में | (8)<br>क्षेत्रफल<br>में(हे०) | (9)<br>खातेदार<br>द्वारा देय<br>भू-<br>राजस्व |
| 140क                    | 1) वन विभाग / --- / ---  |  |             | <u>140क</u><br>(1105410140200154) | 0.0310                               | 1) 1/1            | 1)<br>0.0310                 |   |
|                         |  |  |             |                                   |                                      |                   | <b>0.0310</b>                |   |

|              |  |                |   |
|--------------|--|----------------|---|
| कुल गाटे: एक | कुल क्षेत्रफल: शून्य दशमलव शून्य तीन एक शून्य (हेक्टेयर) | कुल भू-राजस्व: | कुल अंश का क्षेत्रफल: शून्य दशमलव शून्य तीन एक शून्य (हेक्टेयर) |
|--------------|--|----------------|---|

| नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण   | खारिज किया गया  |   |                        | दर्ज किया गया  |  |                        |
|---|---|---|------------------------|--|--|------------------------|
| (10)<br>न्यायालय का नाम /<br>कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा<br>आदेश संख्या / आदेश का<br>दिनांक / नामान्तरण का आधार<br>/ डिजिटल हस्ताक्षर नाम<br>(पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर<br>दिनांक | (11)<br>नाम/पिता-पति-संरक्षक-<br>प्रबंधक का नाम / जाति कोड /<br>आधार नं0 (अन्तिम चार अंक)<br>अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के<br>अंक) / पता / जन्मतिथि<br>(अवयस्क हेतु) | (12)<br>गाटे का<br>खसरा नम्बर<br>/ यूनीक<br>कोड | (13)<br>क्षेत्रफल(हे०) | (14)<br>नाम/पिता-पति-<br>संरक्षक-प्रबंधक<br>का नाम / जाति<br>कोड / आधार<br>नं0 (अन्तिम<br>चार अंक)<br>अथवा पैन नं0<br>(6-9 स्थान के<br>अंक) / पता /<br>जन्मतिथि<br>(अवयस्क हेतु) | (15)<br>गाटे का खसरा<br>नम्बर / यूनीक<br>कोड | (16)<br>क्षेत्रफल(हे०) |

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

अभ्युक्ति:

पूर्व आदेशों का विवरण:

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही ) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

1097

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कंप्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

**Software Powered By:** National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

1098

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

Bibipur jalalabad khasra sankhya 144  
applicant 1

12/Jan/2026 09:52:05 AM

जनपद: शामली

तहसील: कैराना

ग्राम: बीबीपुर जलालाबाद

ग्राम कोड: 110541

फसली वर्ष: 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30  
जून, 2025)

खाता संख्या: 00251

श्रेणी : 5-3-ख / कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष, झाड़ियों के झुन्ड, झाड़ियाँ इत्यादि हों।

| खातेदार का विवरण        |  | खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण  |             | भूमि का विवरण                    |                                      | खातेदार का अंश    |                              |   |
|-------------------------|--|--|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|---|
| खसरा/<br>गाटा<br>संख्या | (2)<br>नाम/पिता-पति-संरक्षक-<br>प्रबंधक का नाम / जाति<br>कोड / आधार नं0 (अन्तिम<br>चार अंक) अथवा पैन नं0<br>(6-9 स्थान के अंक) / पता /<br>जन्मतिथि (अवयस्क हेतु) | (3)<br>न्यायालय का नाम /<br>कम्प्यूटरीकृत वाद<br>संख्या अथवा आदेश<br>संख्या / आदेश का<br>दिनांक / जोत का<br>आधार | (4)<br>वर्ष | (5)<br>गाटा (यूनीक कोड)          | (6)<br>गाटे का कुल<br>क्षेत्रफल(हे०) | (7)<br>हिस्से में | (8)<br>क्षेत्रफल<br>में(हे०) | (9)<br>खातेदार<br>द्वारा देय<br>भू-<br>राजस्व |
| 144                     | 1) वन विभाग / --- / ---  |  |             | <u>144</u><br>(1105410144000054) | 0.6860                               | 1) 1/1            | 1)<br>0.6860                 |   |
|                         |  |  |             |                                  |                                      |                   | <b>0.6860</b>                |   |

|              |  |                |   |
|--------------|--|----------------|---|
| कुल गाटे: एक | कुल क्षेत्रफल: शून्य दशमलव छह आठ छह शून्य (हेक्टेयर) | कुल भू-राजस्व: | कुल अंश का क्षेत्रफल: शून्य दशमलव छह आठ छह शून्य (हेक्टेयर) |
|--------------|--|----------------|---|

| नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण   | खारिज किया गया  |   |                        | दर्ज किया गया  |  |                        |
|---|---|---|------------------------|--|--|------------------------|
|   | (11)  | (12)  | (13)                   | (14)   | (15)   | (16)                   |
| (10)<br>न्यायालय का नाम /<br>कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा<br>आदेश संख्या / आदेश का<br>दिनांक / नामान्तरण का आधार<br>/ डिजिटल हस्ताक्षर नाम<br>(पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर<br>दिनांक | (11)<br>नाम/पिता-पति-संरक्षक-<br>प्रबंधक का नाम / जाति कोड /<br>आधार नं0 (अन्तिम चार अंक)<br>अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के<br>अंक) / पता / जन्मतिथि<br>(अवयस्क हेतु) | (12)<br>गाटे का<br>खसरा नम्बर<br>/ यूनीक<br>कोड | (13)<br>क्षेत्रफल(हे०) | (14)<br>नाम/पिता-पति-<br>संरक्षक-प्रबंधक<br>का नाम / जाति<br>कोड / आधार<br>नं0 (अन्तिम<br>चार अंक)<br>अथवा पैन नं0<br>(6-9 स्थान के<br>अंक) / पता /<br>जन्मतिथि<br>(अवयस्क हेतु) | (15)<br>गाटे का खसरा<br>नम्बर / यूनीक<br>कोड | (16)<br>क्षेत्रफल(हे०) |

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

अभ्युक्ति:

पूर्व आदेशों का विवरण:

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामान्तरण बही ) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

1100

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कंप्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

**Software Powered By:** National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत  
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.09.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 26/2025-26 बनाम संजय पुत्र रतनसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि संजय पुत्र रतनसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 133 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1188/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा संजय पुत्र रतनसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

संजय पुत्र रतनसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।


उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर संजय पुत्र रतनसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

  
 प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी  
 शामली वन प्रभाग  
 शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति संजय पुत्र रतनसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को सूचित कराना सुनिश्चित करें।



  
 प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी  
 शामली वन प्रभाग  
 शामली



## भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.09.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 25/2025-26 बनाम सोमा पुत्र चन्द्रभान, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि सोमा पुत्र चन्द्रभान, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 134 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1176/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा सोमा पुत्र चन्द्रभान, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

सोमा पुत्र चन्द्रभान, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर सोमा पुत्र चन्द्रभान, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी  
शामली वन प्रभाग  
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमण वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति सोमा पुत्र चन्द्रभान, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी  
शामली वन प्रभाग  
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत  
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 30/2025-26 बनाम कृष्णपाल पुत्र महासिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि कृष्णपाल पुत्र महासिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 140(क) पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1194/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा कृष्णपाल पुत्र महासिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

कृष्णपाल पुत्र महासिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर कृष्णपाल पुत्र महासिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

  
 प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी  
 शामली वन प्रभाग  
 शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति कृष्णपाल पुत्र महासिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



  
 प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी  
 शामली वन प्रभाग  
 शामली



## भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत बेदखली आदेश

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 29/2025-26 वनाम शोकिन्दर पुत्र हरवीर, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि शोकिन्दर पुत्र हरवीर, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 155 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1218/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा शोकिन्दर पुत्र हरवीर, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

शोकिन्दर पुत्र हरवीर, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर शोकिन्दर पुत्र हरवीर, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी  
शामली वन प्रभाग  
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति शोकिन्दर पुत्र हरवीर, निवासी ग्राम मजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी  
शामली वन प्रभाग  
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत  
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.03.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 18/2024-25 बनाम जयवीर पुत्र राजसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि जयवीर पुत्र राजसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 142(क) पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1170/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा जयवीर पुत्र राजसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

जयवीर पुत्र राजसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर जयवीर पुत्र राजसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी  
शामली वन प्रभाग  
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति जयवीर पुत्र राजसिंह, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी  
शामली वन प्रभाग  
शामली



**भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत  
बेदखली आदेश**

क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन कार्यालय द्वारा दिनांक 30.03.2025 को निर्गत वन अपराध संख्या 18/2024-25 बनाम सुनील पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली वन अपराध अन्तर्गत धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन द्वारा अवगत कराया है कि सुनील पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 142(क) पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है। अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विषयक क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1169/14-1, दिनांक 14.11.2025 द्वारा सुनील पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-बी (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नोटिस के द्वारा अवसर देते हुए दिनांक 20.11.2025 तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया था।

सुनील पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली द्वारा अभी तक न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उक्त भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण खाली किया गया है। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 का उल्लंघन है, साथ ही वन भूमि पर कब्जा करना मा0 उच्चतम न्यायालय के दायर रिट याचिका संख्या 202/95, टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है।


उपरोक्त तथ्यों के क्रम में भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2000) की धारा-61-ख (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को खाली करने हेतु बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश के पारित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर सुनील पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा 10 दिन बाद बल पूर्वक कब्जा हटा दिया जायेगा।

उक्त बेदखली आदेश आज दिनांक 06.12.2025 को मेरे न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी  
शामली वन प्रभाग  
शामली

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक, कैराना द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को उक्त वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
- 6- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यकतानुसार उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमित वन भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति सुनील पुत्र ब्रजपाल, निवासी ग्राम मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना झिझाना, तहसील कैराना, जिला शामली को हस्तगत कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी  
शामली वन प्रभाग  
शामली

1107

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक /

कैराना दिनांक 04/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B ;

सेवा में,

~~कर्मवीर पुत्र हुकमा निवासी~~  
~~अकबरपुर सुन्हेटी, थाना कैराना~~  
~~तहसील कैराना जिला शामली~~

अद्यहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम - ~~अकबरपुर सुन्हेटी~~ तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या - 221 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 10/10/25 को समय 11:00AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजिकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 04/10/25 को समय लगभग 10:30AM बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



  
0 (राजेश कुमार)  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
कैराना रेंज  
शामली

Kairana SO 247774

EU774285744IN, IVR No: 18002666868  
10-10-2025 09:23:57, Counter No. 1

To: KARAMVEER  
AKBARPUR SUNHENTI, SHAMLI, 247774  
From: REGIONAL FOREST OFFICER  
KRN, SHAMLI, 247774

Base Amt: 19.00

To: KARAMVEER

P.Mode: Cash

POD:No, www.indiapost.gov.in



India Post  
Dak Seva Jan Seva

1108

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिली।

पत्रांक /

कैराना दिनांक 04/10/25

नोटिस

(अर्न्तगत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B )

सेवा में,

जयपाल पुत्र पलटू निवासी  
अकबरपुर सुन्हेटी घाना कैराना  
तहसील कैराना जिला शामिली

अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम - अकबरपुर सुन्हेटी तहसील कैराना जनपद शामिली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या - 120 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अर्न्तगत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 10/10/25 को समय 10:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता - पुल खेडी पुल, शामिली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजिकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अज दिनांक 04/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

India Post  
Post Office

Kairana SO 247774  
EU251576035IN, IVR No: 18002666868  
10-10-2025 09:08:19, Counter No. 1  
To: JAIPAL  
AKBARPUR SUNHETI, SHAMLI, 247774  
From: REGIONAL FOREST OFFICER

P. Mode: Cash  
POD: No, www.indiapost.gov.in

भारतीय डाक  
Post Office



(राजेश कुमार)  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
कैराना रेंज  
शामली

# कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कौराना रेंज शामली।

पत्रांक /

कौराना, दिनांक 04/10/25

## नोटिस

(अर्न्तगत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B )

सेवा में,

मोतीराम पुत्र समेरा भिवासी  
अकबरपुर सुन्हेटी घाना कौराना  
तहसील कौराना जिला शामली

अद्याहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम अकबरपुर सुन्हेटी तहसील कौराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या -120 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अर्न्तगत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 04/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजिकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अज दिनांक 04/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

Kairana SO 247774  
EU251576061IN, IVR No: 18002666868  
10-10-2025 09:09:12, Counter No. 1  
To: MOTIRAM  
AKBARPUR SUNHENTI, SHAMLI, 247774  
From: REGINOL FOREST OFFICER  
KRN, SHAMLI, 247774  
Base Amt: 19.00  
To: MOTIRAM  
P.Mode: Cash  
POD:No, www.indiapost.gov.in



राजेश कुमार  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
कौराना रेंज  
शामली

1110

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 04/10/25

नोटिस

(अर्न्तगत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B )

सेवा में,

लखमी पुत्र पौद्धा निवासी  
अकबरपुर सुन्हेटी थाना कैराना  
तहसील कैराना, जिला शामली

अद्याहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम अकबरपुर सुन्हेटी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या-221 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अर्न्तगत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 10/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजिकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अज दिनांक 04/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
कैराना रेंज  
शामली

Kairana SO 247774  
EU251576058IN, IVR No: 18002666868  
10-10-2025 09:19:38, Counter No  
To: LAKEMI  
AKBARPURSUHEHTI, SHAMLI, 247774  
From: REGIONAL FOREST OFFICER  
KRN, SHAMLI, 247774  
Base Amt: 19.00  
To: LAKEMI  
P.Mode: Cash  
POD:No, www.indiapost.gov.in

India Post  
Dak Seva-Jan Seva

## भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... सुभाष

पिता का नाम..... ब्रजपाल

पता..... मुजरा शिवलगर, ग्राम पंचामत बीबीपुर जलालाबाद, भाना-सिंझाना  
तं० केरना जिला शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/9/2025 को ग्राम..... बीबीपुर जलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या..144/136 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या..30/25-26 दिनांक..01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



सैबराम दीपशर्मा  
जुंझाना (शामली)



Edit with WPS Office

## भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम..... कृष्णपाल.....

पिता का नाम..... महासिंह.....

पता.. मजरा.. शिवनगर.. गा० पंचापत.. कीकीपुर भजलाबाद थाना सिंझाना तह केशवा जिला-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/2025 को ग्राम.. कीकी.. भजलाबाद..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या.. 140.. में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या.. 30/2025.. 26 दिनांक 01/10/2025 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



सैबरज अधिकारी  
सिंझाना (शामली)

## भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....शो.लि.दर.....

पिता का नाम.....हरवीर.....

पता.....श्री.प्र.शा.पंचायत...श्री.प्र.मलालाबाद, ग्राम-झिंझाना, त.कराना जिला-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/25 को ग्राम...श्री.प्र.मलालाबाद में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या...155...में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 29/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02/10/2025



सैबरन अधिकारी  
झिंझाना (शामली)



Edit with WPS Office

## भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....ईश्वर.....

पिता का नाम.....पुष्पाश्री.....

पता सजरा बानी पू. गा. पंचापत. बीबी पू. जलालाबाद भाना सिंसाता त. कटराना जिला शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 09/09/25 को ग्राम राजसू ग्राम रतौड़ में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 429 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 28/2025 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



02/10/25  
सैबरान अधिकारी  
खिन्साना (शामली)



Edit with WPS Office

## भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....सतीश.....

पिता का नाम.....विष्णु.....

पता: सजरा, बन्नीपुर, रा. पंचायत, बीबी, जलालाबाद भन्ना-मिंजाना त. कौराना जिला-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 09/09/25 को ग्राम सजरा, बन्नीपुर, रा. पंचायत, बीबी, जलालाबाद भन्ना-मिंजाना त. कौराना जिला-शामली में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 479 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 28/2025-26 दिनांक 11/01/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



दिनांक 10/10/25  
संरक्षण अधिकारी  
मिंजाना (शामली)



Edit with WPS Office

## भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,


नाम..... उमेश .....

पिता का नाम..... लुबाड़ी .....

पता..... जिला प्र. था. पंचायत बीबी प्र. जलालाबाद, थाना-शिमला त. कैराना जिला-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 09/09/25 को ग्राम राजस्व ग्राम रतौड़ में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या 479 में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या 28/2025-26 दिनांक 01/10/25 इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



02/10/25  
सैक्रेटरी अधिकारी  
शिमला (शामली)



Edit with WPS Office

## भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....सोभा.....

पिता का नाम.....जसमान.....

पता.....महाराज शिवराज शास्त्री पंचायत, बीबीपुर (जलालाबाद) ग्राम-सिसमा त. बिराना जिला-शामली

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक 23/09/25 को ग्राम.....बीबीपुर (जलालाबाद)..... में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या.....134.....में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या.....25/2025-26..... दिनांक.....20/09/25..... इजरा किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



11/10/25  
सैबरन अधिकारी  
बिराना (शामली)



Edit with WPS Office

## भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत नोटिस

सेवा में,

नाम.....संजय.....

पिता का नाम.....रतन सिंह.....

पता.मजरा.शिवनगर.सप्तपंचायत.....

आपको बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय NGT के OA 915/2024 के निर्देशानुसार दिनांक.23/09/2025 को ग्राम...लीलीपुर...जिला...में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा वन भूमि की संयुक्त पैमाईश की गई जिसमें वन भूमि के खसरा संख्या..13.3...में आपके द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जिसमें रेंज केस संख्या.26/2025-26 दिनांक.30/09/02 डजर किया गया है इस सम्बन्ध में आप 15 दिवस के अन्दर अपना भवन /पक्का निर्माण स्वतः हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक - 02-10-2025



संक्षान अधिकारी  
सिंझाना (शामली)



Edit with WPS Office

1119

रजि. केस नं. 18/23-24

A

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली  
वाद संख्या 10542/2024  
सरकार बनाम शमशाद  
धारा-26/23 वन अधिनियम  
थाना- शामली

08.03.2025

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त हाजिर आया। अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त ने स्वेच्छा से जुर्म कबूल करना स्वीकार किया है। अभियुक्त को 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा जुर्माना अदा किया गया। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार दाखिल की जाये।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
शामली

1120

(P)

इंतकरीन शपठ 16/23-24

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली  
वाद संख्या 10543/2024  
सरकार बनाम हारून  
धारा-26/23 वन अधिनियम  
थाना- शामली

08.03.2025

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुयी। अभियुक्त हाजिर आया। अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त ने स्वेच्छा से जुर्म कबूल करना स्वीकार किया है। अभियुक्त को 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा जुर्माना अदा किया गया। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार दाखिल की जाये।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
शामली

2092688

हो 279

1121

तसव्वर

20/2/2023

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली  
वाद् संख्या 10544/2024  
सरकार बनाम तसव्वर  
धारा-26/23 वन अधिनियम  
थाना- शामली

08.03.2025

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त हाजिर आया। अभियुक्त द्वारा जुर्म इकवाल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त ने स्वेच्छा से जुर्म कबूल करना स्वीकार किया है। अभियुक्त को 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा जुर्माना अदा किया गया। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार दाखिल की जाये।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
शामली

रजि. नं. 14/2023-24

प्रभाग नं. 34/2023-24

1927 की धारा-26  
बुक सं 06

# Anexxure -3

De No- 18/2024-28

क्रम सं 35

- 1- अंकुर पूत्र शौकिनपाल, 2- दिनेश पूत्र चंद्रमवीर, 3- सुनील पूत्र बृजपाल, 4- जयवीर पूत्र राजसिंह, 5- शौकिनपाल पूत्र बृजपाल

1- नाम, पिता का नाम व निवासीगण ग्राम- शिवनगर, ग्रामा- झिंझाना, तहसील- कैराना  
पूरा पता सहित :- जिला- ग्रामली

1- साक्षी का नाम पता :- श्री शौकिन्ड न्यूनतम वेतन कर्मी

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- वन भूक्ति के खसरा सं 0 - 142 (क) में अवेद्य  
दिनांक :- 30/03/2025 रूप से अतिक्रमण करना।

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय जांच  
का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग सहोदय,  
आदि का उल्लेख :-

उत्पाद दिनांक - 30-03-2025 को सगप लगेजि

11:30 AM पर मैं धावीपुर जलालाबाद फाँदशाला में काम करा रहा था तभी मुझे फाँदशाला के पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी तो मैं श्री शौकिन्ड न्यूनतम वेतन कर्मी का साथ लेकर फाँदशाला के पीछे गया तो देखा कुछ व्यक्तिों द्वारा वन भूक्ति पर ईट डालकर रुक नांव रखादकर मिमाका काम करने का प्रयास किया जा रहा था जांच करने पर पता चला कि ये व्यक्ति धावीपुर जलालाबाद वनब्लॉक के खसरा सं 0 142 (क) में ईट डालकर रुक नांव रखादकर अवेद्य रूप से अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे मेरे द्वारा उनको रोका गया स्वअकेले पृहताई की गयी तो उनके द्वारा अपना-अपना नाम क्रमशः 1- अंकुर पूत्र शौकिनपाल, 2- दिनेश पूत्र चंद्रमवीर, 3- सुनील पूत्र बृजपाल, 4- जयवीर पूत्र राजसिंह, 5- शौकिनपाल पूत्र बृजपाल निवासीगण ग्राम- शिवनगर, ग्रामा- झिंझाना, तह- कैराना जिला- ग्रामली बताया गया। सहोदय, उक्त व्यक्तिों का यह कृत्य भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 के तहत वणनीय अपराध है।

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट अधीमान जी की सेवा में सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है।  
प्रवक्ता 0 ग्रामली -

सहोदय

वन अपराध केस की रक प्रती आपकी सेवा में सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है।

Jalla  
राज्य वन अधिकारी  
ऊन.ग्रामली

30/03/25  
(जोगन्त कुमारी)

त.र.  
वीट प्रभारी  
धावीपुर (जलालाबाद)  
ऊन रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी  
ग्रामली वन प्रभाग  
ग्रामली

1123

क्र. सं. 06 धारा- 2 व 26

RC No. 12/2024-25

क्रम सं. 29

1- सुनील कुमार पुत्र वृषपाल 2- जगदीश पुत्र राजासिंह

3- रमेशचन्द्र पुत्र रतनसिंह निवासी गणेश ग्राम- शिवनगर, पुरा पता सहित :- गाना- सिंधाना त. ठराना जिला- शामली

1- साक्षी का नाम पता :- श्री सुनील कुमार दितीय वनरक्षक

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- लोदीपुर जिला लावादा वन ब्लॉक में खसरा संख्या दिनांक :- 12-11-2024 125 में अवैध रूप से जमीन का कब्जा

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विशाली जांच का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग में दिए आदि का उल्लेख :- आज दिनांक-12-11-2024 को अपने हमारे श्री सुनील कुमार दितीय वनरक्षक के साथ लोदीपुर जिला लावादा वन ब्लॉक में जांच कर रहा था। जांच के दौरान ग्राम लोदीपुर जिला लावादा के मेधरा शिवनगर में रास्ते के पास कुछ लोगों के बूटों पर मिट्टी डालकर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था। तब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि वे ब्लॉक वन के भाग का वन भूमि के खसरा संख्या 125 में जांच-सफाई व मिट्टी डालकर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस पर पुछताछ की गयी तो उनके द्वारा अपना-अपना नाम- 1- सुनील कुमार पुत्र वृषपाल 2- जगदीश पुत्र राजासिंह 3- रमेशचन्द्र पुत्र रतनसिंह निवासी गणेश ग्राम- शिवनगर गाना- सिंधाना त. ठराना जिला- शामली बताया गया। अतः उक्त कृत्य भारतीय वन अधिनियम- 1927 का धारा- 2 व 26 का स्पष्ट उल्लंघन एवं दांडेबाज अपराध है।

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचनाओं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

आपका विशाली  
जन विभाग  
अन्य अपराध कस की एक प्रत आपकी  
सेवा में सूचनाओं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित है।

Jalil

प्राप्त  
12/11/2024  
(जगदीश कुमार)  
त. ठर.  
लोदीपुर जिला लावादा  
घर

धारा- 2 व 26

सूक सं० 06

R.C. No. 12/2024-25

क्रम सं० 29

1- सुनील कुमार पुत्र धृषणीपाल 2- जगदीश पुत्र राजसिंह

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :- 3- रामेश चन्द्र पुत्र रतनसिंह निवासी गणेश ग्राम- शिवनगर, गाना- सिंझाना तहसील- लखनौ जिला- शामली

1- साक्षी का नाम पता :- श्री सुनील कुमार दितीय वनरक्षक

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- लखीपुर जिलालाबाद वन चौक में खसरा संख्या दिनांक :- 12-11-2024 125 में अवैध रूप से हातकूमल कटना /

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विशाही जांच का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग में आप आज दिनांक-12-11-2024 को अपने हमराह आदि का उल्लेख :- श्री सुनील कुमार दितीय वनरक्षक के साथ लखीपुर जिलालाबाद वन चौक में गश्त कर रहा था। गश्त के दौरान गाना बाँधीपुर जिलालाबाद के मजरा शिवनगर में रास्ते के पास कुछ वृक्षों के अंकुशों पर मिट्टी डालकर अवैध निमाँल कार्य किया जा रहा था तथा मिट्टी पड़ जा तो देखा कि ये वृक्ष वन मजरा के वन भूमि के खसरा संख्या 125 में सम्मिलित व मिट्टी डालकर अवैध निमाँल कार्य किया जा रहा था। उनसे पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा अपना-अपना नाम- 1- सुनील कुमार पुत्र धृषणीपाल 2- जगदीश पुत्र राजसिंह 3- रामेश चन्द्र पुत्र रतनसिंह निवासी गणेश ग्राम- शिवनगर गाना- सिंझाना तहसील- लखनौ जिला- शामली बताया गया। संश्लेषित अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम- 1927 की धारा- 2 व 26 का स्पष्ट उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है।

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचनाओं स्वतंत्रतापूर्वक कार्यावाही हेतु प्रेषित है।

आपका वन अपराध कस की सूचना आपकी सेवा में सूचनाओं स्वतंत्रतापूर्वक कार्यावाही हेतु प्रेषित है।

Jalee

प्राणी  
12/11/2024  
(जगदीश कुमार)  
वा.र.  
लखीपुर जिलालाबाद  
वा.र.

# 1125



कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन रेंज, शामली वन प्रभाग



पत्रांक

दिनांक

## नोटिस

नाम .....जापवीर.....

पिता का नाम .....राज सिंह.....

पता ग्राम: शिवनगरा, भाना, शिवनगरा, ता. कराना, जिला - शामली

आपको बजरिएं नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है जोगेन्द्र कुमार सैक्शन प्रभारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया है की आपके द्वारा दिनांक 20/09/24 को ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद के मजरा शिवनगर मे वन विभाग के खसरा नंबर 125 मे मिट्टी डालकर अवैध निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है, जो की भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा -2 व 26 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस संबंध मे आप अपना अभिकथन रखने हेतु नोटिस प्राप्त होने की 2 दिवस अंदर कार्यालय क्षेत्रीय वनाधिकारी स्थित ऊन रोड झिंझाना पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे, अन्यथा की स्थिति मे आपके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
वन, शामली

1126

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन रेंज, शामली वन प्रभाग



पत्रांक

दिनांक

## नोटिस

नाम ..... सुनील कुमार .....

पिता का नाम ..... बृजपाल .....

पता ग्राम - शिवनगर, थाना - झिंझाना, त. 0 - झिंझाना, जिला - शामली

आपको बजरिए नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है जोगेन्द्र कुमार सैक्शन प्रभारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया है की आपके द्वारा दिनांक 20/09/24 को ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद के मजरा शिवनगर मे वन विभाग के खसरा नंबर 125 मे मिट्टी डालकर अवैध निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है, जो की भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा -2 व 26 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस संबंध मे आप अपना अभिकथन रखने हेतु नोटिस प्राप्त होने की 2 दिवस अंदर कार्यालय क्षेत्रीय वनाधिकारी स्थित ऊन रोड झिंझाना पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे, अन्यथा की स्थिति मे आपके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
ऊन, शामली

वन विभाग 30-50 परिधि (सर्किट) 1127 खण्ड (डिवीजन) शामली

अल्प अपराध भारतीय वन प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 30/09/2025 (अधिकक्षेत्र रेंक)  
आधिनियम 1927 की धारा-26 व 63

बुक सं० 09

क्रम सं० 10

RC No. - 25/2025-26

1- बिजेन्द्र पुत्र महासिंह, 2- सुनील पुत्र सोहनबीर, 3- चैनपाल पुत्र रामशरण, 4- देवेन्द्र पुत्र ओमपाल, 5- सोमा पुत्र चन्द्रमान, 6- ओमप्रकाश पुत्र बिरमसिंह,

1- नाम, पिता का नाम व 7- पूरण पुत्र रामशरण, निवासी गण मजरा शिवनगा  
पूरा पता सहित :- ग्राम पंचापत बीबीपुर जलालाबाद ग्रामा-सिंशाना, तहसील-  
कैराना जिला-शामली

1- साक्षी का नाम पता :- राजस्व विभाग व वन विभाग की संप्रभुता रीम

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक के खसरा सं० 134 पर  
दिनांक :- 30/09/2025 पक्का/भवन निर्माण कर आतिक्रमण करना / खसरा सं० -  
134 कर रकबा 0.2460 पर डीपीकरण

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय जांच  
का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग महोदय,  
आदि का उल्लेख :- माननीय न्यायालय की ओर के 0A केस सं० 915/2024  
के अनुक्रम में ग्राम बीबीपुर जलालाबाद में वन विभाग की वन भूमि के खसरा सं० -  
134 की राजस्व विभाग व वन विभाग की संप्रभुता रीम द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927  
की धारा-20 के अनुसार संप्रभुता पैनाइश की गयी जिसमें 1- बिजेन्द्र पुत्र महासिंह,  
2- सुनील पुत्र सोहनबीर, 3- चैनपाल पुत्र रामशरण, 4- देवेन्द्र पुत्र ओमपाल, 5- सोमा  
पुत्र चन्द्रमान, 6- ओमप्रकाश पुत्र बिरमसिंह, 7- पूरण पुत्र रामशरण, निवासी गण  
मजरा शिवनगा, ग्राम पंचापत बीबीपुर जलालाबाद, ग्रामा-सिंशाना, तहसील-कैराना  
जिला-शामली द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है जो भारतीय वन  
अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 के तहत दंडनीय अपराध है।

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट अधिनियम की सेवा में सूचना  
रूप आवश्यक कमजोरी हेतु उपरि है।  
उपरोक्त शामली :-

महोदय,  
वन अपराध केस की रक प्रति अधिनियम की  
सेवा में सूचना रूप आवश्यक कमजोरी  
हेतु उपरि है।

प्रार्थी  
(जोगेंद्र कुमार)  
वनरक्षक  
बीबीपुर जलालाबाद बीट

ज्ञेय वन अधिकारी  
ऊन, शामली

वन विभाग 3090

परिधि (सर्किल) 1128

खण्ड (डिवीजन) शामली

अन्य अपराध भारतीय वन प्रसूचना (रिपोर्ट) सं०

दिनांक 30/09/2025 (अधिक्षेत्र रेंक)

आधिनियम 1927 की धारा-26 व 63

बुक सं० 09

क्रम सं० 11

RC No. - 26/2025-26

1- रितुपाल पुत्र बिरमसिंह, 2- कृष्णपाल पुत्र बिरमसिंह, 3- सुनील पुत्र ऋषिपाल, 4- रामनाथ पुत्र सुकन्द, 5- सतवीर पुत्र सुकन्द, 6- राकेश पुत्र बाल्ला, 7- शिवकुमार पुत्र बाल्ला,

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :- 8- राजेन्दु पुत्र मांगा, 9- संजय पुत्र रतनसिंह, 10- बिरमपाल पुत्र रतनसिंह, निवासी गण मजरा शिवनगर, ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना- सिंझाना, तहसील- जिला- शामली

1- साक्षी का नाम पता :- राजस्व विभाग व वन विभाग की संपूर्ण टीम

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक के खसरा सं० 133 पर दिनांक :- 30/09/2025 भवन/पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करना खसरा सं० 133 के रकबा 0.6100 हे० पर अतिक्रमण।

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय जांच का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग मद्योप, आदि का उल्लेख :- मा. ज्जापालप N.P.A के 0A केस सं० 915/2024 के अनुक्रम में ग्राम बीबीपुर जलालाबाद में वन विभाग की वन भूमि के खसरा सं० 133 की राजस्व व वन विभाग की संपूर्ण टीम द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 के अनुसार संपूर्ण पैमाइश की गयी जिसमें 1- रितुपाल पुत्र बिरमसिंह, 2- कृष्णपाल पुत्र बिरमसिंह, 3- सुनील पुत्र ऋषिपाल, 4- रामनाथ पुत्र सुकन्द, 5- सतवीर पुत्र सुकन्द, 6- राकेश पुत्र बाल्ला, 7- शिवकुमार पुत्र बाल्ला, 8- राजेन्दु पुत्र मांगा, 9- संजय पुत्र रतनसिंह, 10- बिरमपाल पुत्र रतनसिंह, निवासी गण मजरा शिवनगर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद थाना- सिंझाना, तहसील- जिला- शामली द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट अधिमान की सेवा में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उचित है।

उ० वना० शामली :-

मद्योप, वन अपराध केस की शक्यता अधिमान की सेवा में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उचित है।

जोगेंद्र कुमार वनसंरक्षक बीहड़ प्रमदी

क्षेत्रीय वन अधिकारी ऊन, शामली

बीबीपुर जलालाबाद

वन विभाग ..... परिधि (सर्किट) ..... खण्ड (डिवीजन) ..... शामली  
 30 प्र० 1/29/25  
 अन्य अपराध 'भारतीय वन प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० ..... दिनांक 30/9/2025 (अधिकक्षेत्र रेंक)  
 अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63  
 बुक सं० 09 कम सं० 12  
 RC NO- 27/2025-26

- 1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :- 1. हरवंश (गुलशन) S/o भौला निवासी मजरा डेरा संगतपुरा ग्राम पंचामत बीबीपुर हतिमा, भाना कैशाना, तहसील कैशाना, जिला शामली
- 1- साक्षी का नाम पता :- राजस्व विभाग व वन विभाग की संयुक्त टीम
- 3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- पावटी खुर्द वन ब्लॉक के खसरा सं० 537 व दिनांक :- 30/9/2025 553 पर भवन/पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करना
- 4- मूल्य :-
- 5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय जाँच का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग महोदय, आदि का उल्लेख :- के अनुक्रम में ग्राम पावटी खुर्द में वन विभाग की वन भूमि के खसरा सं० 537 व 553 की राजस्व व वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-20 के अनुसार संयुक्त परमादेश की गमी जिसमें ① हरवंश (गुलशन) S/o भौला निवासी मजरा डेरा संगतपुरा, ग्राम पंचामत बीबीपुर हतिमा, भाना कैशाना, तहसील कैशाना, जिला शामली, 30 प्र० के द्वारा खसरा नं 537 में 0.04 हेक्टेयर व खसरा नं 553 में 0.07 हेक्टेयर वन भूमि पर भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है। जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। प्र० वता० शामली :-

महोदय, वन अपराध क्लेस की एक प्रति श्रीमान जी की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

*[Signature]*  
 क्षेत्रीय वन अधिकारी  
 ऊन, शामली

प्राप्ति  
 Vandav Rana  
 (संदीप शर्मा)  
 वन टिकट  
 बीट प्रभारी  
 पावटी खुर्द

वन विभाग 3050 परिधि (सर्किज) बानीपुर खण्ड (डिवीजन) शामली

अन्य अपराध भारतीय वन प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 01/10/2025 (अधिकक्षेत्र रेंक)  
आधिनियम 1927 की धारा 26 व 63

बुक सं० 09

क्रम सं० 13

AC No - 28/2025-26

1- नरेश पुत्र जगपाल, 2- सतीश पुत्र विक्रम, 3- ईश्वर पुत्र प्रकाशा,  
4- जगपाल पुत्र खेमचन्द, 5- राजू पुत्र हरबीर, 6- उदेश पुत्र कुवाडी

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :-  
2- वकील पुत्र सुरवीर निवासी गण मजरा बानीपुर शक पंचायत-  
बीबीपुर जलालाबाद भाना-सिंझाना त. कैराना जिला-शामली

1- साक्षी का नाम पता :-  
स्व. अन्प 20 व्यक्ति के नाम H2 केस पृष्ठ के पीछे अंकित हैं।  
राजस्व विभाग व वन विभाग की सम्पूज्ज् टीम

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- रतौंद वन ब्लॉक के खसरा सं०-479 के रकबा-0.79 है,  
दिनांक :- 01/10/2025 खसरा सं०-141 म रकबा 0.36 है, खसरा सं०-140 रकबा 0.25 है,  
स्व. खसरा सं०-143 के रकबा 0.15 है पर मकान/पक्का निर्माण

4- मूल्य :- कर अतिभ्रमण करना।

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय जांच का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग-महोदय आदि का उल्लेख :-  
सा. जगपाल H47 के OA केस सं० 915/2024 के अनुक्रम में 141 म, 140 व 143 की राजस्व विभाग व वन विभाग की सम्पूज्ज् टीम द्वारा पैमाइश की गयी जिसमें खसरा सं०-479 पर 1- नरेश पुत्र जगपाल, 2- सतीश पुत्र विक्रम, 3- ईश्वर पुत्र प्रकाशा, 4- जगपाल पुत्र खेमचन्द, 5- राजू पुत्र हरबीर, 6- उदेश पुत्र कुवाडी, 7- वकील पुत्र सुरवीर, निवासी गण मजरा बानीपुर शक पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, भाना-सिंझाना तहसील-कैराना जिला-शामली एवं अन्प 20 व्यक्ति के नाम H2 केस पृष्ठ के पीछे अंकित हैं। द्वारा मकान/पक्का निर्माण कर हुआ पाया गया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः प्रथम सूचता रिपोर्ट अधिमान्यता की सेवा में सूचता प्र. स्व. आवश्यक जानकारी हेतु प्रेषित है।  
पु० घना० शामली

महोदय, वन अपराध केस की शक्यता आपकी सेवा में सूचता प्र. एवं आवश्यक जानकारी हेतु प्रेषित है।

क्षत्रीय वन अधिकारी  
रुन शामली

प्राप्ति  
(जि.के.कुमार)  
वन रक्षक  
ऊत रंज

व  
व  
ज

वन विभाग उ० पु० परिधि (सर्किल) **1131** खण्ड (डिवीजन) शामली

अनुअपराध भारतीय वन प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० ..... दिनांक 01/10/2025 (अधिक्षेत्र रेंक)  
आधिनियम 1927 की धारा 26 व 63  
बुक सं० 09 कम सं० 14

- 1- नरेंद्र पुत्र पुरण, 2- सविन्दर पुत्र जैनसिंह, 3- शोकिन्दर पुत्र हरबीर, 4- देवेन्द्र पुत्र पुरण, 5- सेवाराय पुत्र जैनसिंह, निवासीगण
- 1- नाम, पिता का नाम व सजरा बानीपुर ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना-सिसाना पूरा पता सहित :- लहसील - कैराना जिला- शामली
- 1- साक्षी का नाम पता :- स्व अन्व 19 व्यक्तिपु के नाम H2 के स पृष्ठ के पीछे अंकित हैं राजस्व एवं वन विभाग की संप्रभुता टीम
- 3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- बीबीपुर जलालाबाद वन ब्लॉक के खसरा संख्या दिनांक :- 01/10/2025 155 के खसरा 1.100 हे पर भवन/पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करना।
- 4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय जांच का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग महीदप, आदि का उल्लेख :- सा०-पापालप NPT के OA के स सं० 915/2024 के अनुक्रम में ग्राम बीबीपुर जलालाबाद में वन विभाग की वन भूमि के खसरा सं० 155 की राजस्व विभाग व वन विभाग की संप्रभुता टीम द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-20 के अनुसार संप्रभुता पैमाने की गयी जिनमें 1- नरेंद्र पुत्र पुरण, 2- सविन्दर पुत्र जैनसिंह, 3- शोकिन्दर पुत्र हरबीर, 4- देवेन्द्र पुत्र पुरण, 5- सेवाराय पुत्र जैनसिंह निवासीगण सजरा बानीपुर, ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, थाना-सिसाना, त०-कैराना जिला-शामली एवं अन्व 19 व्यक्तिपु के H2 के स पृष्ठ के पीछे अंकित हैं द्वारा भवन/पक्का निर्माण हुआ पाया गया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 व 63 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट आधान जी की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उचित है।  
प्र० वना० शामली :-

महीदप, वन अपराध केस की रकम प्रति आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उचित है।

(जोगेंद्र कुमार)  
च०-  
बी० उ० भारती  
बीबीपुर जलालाबाद

राज  
देशीय वन अधिकारी  
वन, शामली



1133

8- देवीसिंह पुत्र कर्मसिंह, 9- मधुराम पुत्र मलखानसिंह, 10- हरेश  
 पुत्र देवीसिंह, 11- बिलेश पुत्र लालसिंह, 12- नन्दकिशोर पुत्र पिरपी  
 13- मकरसिंह पुत्र जिलेसिंह, 14- भजनलाल पुत्र लालसिंह, 15- प्रदीप  
 पुत्र बपुराम, 16- दारा खसरा सं० 138 के रकबा ०.९३३० हे पर निवासी बंधु  
 मजरा शिवनगर गा. पंचायत बीबीपुर जलालाबाद थाना-सिंसाता तह. कौरवा,  
 जिला-शामली द्वारा 16- नाहरसिंह पुत्र आशा रफ दारा खसरा सं०-  
 136 के रकबा ०.१४५० हे व 17- जोगेश पुत्र राजपाल, 18- अंगुर  
 पुत्र सतपाल निवासी गण मजरा शिवनगर गा. पंचायत बीबीपुर  
 जलालाबाद थाना-सिंसाता तह. कौरवा जिला-शामली द्वारा खसरा सं०-  
 139- के रकबा ०.१५५० हे पर एवं 19- मोहित पुत्र जीतसिंह, 20-  
 बोहरा पुत्र ब्रजपाल, 21- सजल पुत्र जीतसिंह, 22- सोमपाल पुत्र  
 श्यामा, 23- सोमपाल पुत्र श्यामा, 24- विनायक पुत्र जीतसिंह,  
 25- सुभाष ब्रजपाल, 26- संजय पुत्र जीतसिंह, निवासी गण मजरा  
 शिवनगर गा. पंचायत बीबीपुर जलालाबाद थाना-सिंसाता तह.-  
 कौरवा जिला-शामली द्वारा खसरा सं०- 144 के रकबा  
 ०.६४६० हे पर भवन/पक्का निर्माण का अतिक्रमण हुआ  
 पप्पा गया है

(जोगेश कुमार)  
 व.र.  
 केन रोज

- 1134
- 6- बाबुराम पुत्र धर्मा, 7- विनोद कुमार पुत्र विक्रम सिंह, 8- विनोद कुमार पुत्र विक्रम सिंह, 9- पप्पन पुत्र अणबसिंह, 10- अशोक कुमार पुत्र श्यामसिंह, 11- सुदीप पुत्र अणबसिंह, 12- मदन पुत्र लोदु, 13- रामकुमार पुत्र मैनसिंह, 14- आनन्द पुत्र मैनसिंह, 15- ब्रजलाल कुमार पुत्र प्रकाशचन्द, 16- अमित पुत्र प्रकाशचन्द, 17- राजवीर पुत्र ज्ञानसिंह, 18- लोकेश पुत्र बिजेन्दु, 19- बिजेन्दु पुत्र ज्ञानसिंह, 20- राजेश पुत्र बिजेन्दु, 21- सतीश पुत्र सुशील, 22- शिवकुमार पुत्र कृष्णपाल, 23- लोकेश पुत्र तेल्लु, 24- जीवन पुत्र

करमीर. निवासी गण मजरा खानीपुर गा. पंचायत बीबीपुर जलालाबाद  
 आना- ब्रिजसना, सटसील केरावा जिला शिमली द्वारा बीबीपुर  
 जलालाबाद वन ब्लॉक की वन भूमि की खसरा सं० 155 के रकबा  
 1.100 ई० पर भवन/पक्का निर्माण कर अतिक्रमण हुआ  
 पाया गया है।

(3)

(जागड कुमाव)  
 व-र.  
 अनरेज

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

वन विभाग उच्छ्रुत परिधि (सर्कल) खण्ड (डिवीजन) शामली

1135

अन्य अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 22/11/23 (अधि क्षेत्र रेंज)

बुक सं० 08 द्वारा 26 व 63

कम सं० 16

RC No- 14/2023-24

D.C. No- 34/2023-24

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :- तस्सवर पुत्र अस्वार नि० बीवीपुर हाटिया त० कराना जिला शामली

1- साक्षी का नाम पता :- हरिन 310 फकरा दैनिक श्रमिक

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- बीवीपुर हाटिया के आसपास क्षेत्र में भवन निर्माण प्रतिक्रिया दिनांक :-

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय कार्याधी का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग मधेय आदि का उल्लेख :- वन ब्लॉक में गाँव की तरफ खसरा न० 240 ख का सर्वे दल का लेखा श्री लक्ष्मण, कानूनवादी श्री नफीस अहमद सर्वेयर श्री बिलेन्द्र सिंह द्वारा सर्वे किया गया। तो ज्ञात हुआ कि खसरा न० 240 ख में तस्सवर पुत्र अस्वार नि० बीवीपुर हाटिया त० कराना जिला शामली द्वारा लगभग 08 वर्ष पूर्व पक्का निर्माण कर अवैध रूप से भवन बनाया गया है। उपरोक्त अभियुक्त को दिनांक 08/11/23 को नोटिस जारी का भवन के सम्बंध में वैध अभिलेख माँगे गये। परन्तु भवन स्वामी द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हुआ और नही कोई वैध अभिलेख उपलब्ध कराने पर खसरा न० 240 ख आसपास वन भूमि है। जिस पर उपरोक्त अभियुक्त अवैध कब्जा कर लगभग 08 वर्ष पूर्व भवन निर्माण कराया गया है। जो भारतीय वनोद्योगिक विनियम 1924 की धारा 26 व 63 का उल्लंघन है।

T.C. / गणेश का

उक्त प्रथम प्रसूचना रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में आवरण कार्याधी हेतु प्रेषित है।

08/12/23

प० व० क० मधेय

H2 कोल की मूल जमीन सुचना व आवश्कता काक्षी कार्य हेतु प्रेषित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी कराना रेंज (शामली)

साक्षी विपिन कुमार वठरठ कटि प्रमारी-वसुधार्क



वन विभाग उ०प्र० परिधि (सकिल) **1137** खण्ड (डिवीजन) **शामली**

अन्य अपराध **आ० व० अ० प्र० सूचना (रिपोर्ट) सं०** दिनांक **२१/११/२३** (अधिकेत्र रेंक)

**की धारा २६ व ६३**

बुक सं०

**०८**

क्रम सं० **१८**

**REN-16/23-24**

~~D.O. No-36/2023-24~~

1- नाम, पिता का नाम व **हारन पुत्र सुकर नि० बीवीपुर हरिया त० कराना जिला शामली**  
पूरा पता सहित :-

1- साक्षी का नाम पता :- **हारन ९१० फरक देनिक प्रमिफ**

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- **बीवीपुर हरिया के आराक्षित क्षेत्र में भवन निर्माण/**  
दिनांक :- **अतिक्रमण**

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) **विभागीय कार्यवाही**  
का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग महोदय  
आदि का उल्लेख :- **दिनांक ०६/११/२३ को सदैह के आधार पर बीवीपुर**  
**हरिया वन ब्लाक में गाँव की तरफ खसरा न० २१० ख का सर्वे हलका**  
**लेखपत्र श्री लवकरा, काननगो श्री नफीस अहमद सर्वेपर श्री विजेन्द्र सिंह**  
**द्वारा सर्वे किया गया। तब ज्ञात हुआ कि खसरा न० २१० ख में हारन पुत्र**  
**सुकर नि० बीवीपुर हरिया त० कराना जिला शामली द्वारा लगभग ०८ वर्ष**  
**पुर्वी पक्का निर्माण कर अर्बेच रखे से भवन बनाया गया है। उपरोक्त**  
**आभियुक्त को दिनांक ०८/११/२३ को नोटिस जारी कर भवन के सम्बंध**  
**में वेंच अभिलेख मागे गये। परन्तु भवन स्वामी द्वारा नियत तिथि पर**  
**उपस्थित नहीं हुआ और नही कोई वेंच अभिलेख उपलब्ध कराये गया।**  
**खसरा न० २१० ख आराक्षित वन है। बिसपर उपरोक्त आभियुक्त द्वारा**  
**अर्बेच कब्जा कर लगभग ०८ वर्ष पुर्वी भवन निर्माण कराया गया है,**  
**जो भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा २६ व ६३ का उल्लंघन**  
**है।**

अतः तपम सूचना रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में आवश्यक  
कार्यवाही हेतु सूचनाएं भेजिए हैं।

**प्र० व० प्र० महोदय**  
**म० व० प्र० श्री प्र० प्र०**  
**सूचनाएं एवं आवश्यक**  
**कार्यवाही हेतु भेजिए हैं।**

**T.C**  
**काका-३**  
**०१-१२-२२**

**श्री**  
**विपिन कुमार वरुण**  
**वीट प्रमारी- कराना**

**क्षेत्रीय वन अधिकारी**

वन विभाग 30/11/23 परिधि (सकल) 1138 खण्ड (डिवीजन) 211मली

अन्य अपराध 30/11/23 प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 30-11-2023 (अधिक्षेत्र रैंक)  
1927की पार। 26963

बुक सं० 08

क्रम सं० 19

REHO-17/13-24

D.O. No-37/2023-24

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :- नवाब शि० सपुर शि० कीकीपुर हरिया, त० पुराना जिला 211मली

1- साक्षी का नाम पता :- हादरुल शि० फकर म दैनिक श्रमिक

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- कीकीपुर हरिया के आरक्षक क्षेत्र में भवन निर्माण।  
दिनांक :- कालकमल

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) का पूरा विवरण :-  
विभागीय कार्यालय

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग आदि का उल्लेख :-  
महोदय, दिनांक 06/11/2023 को, सड़क के आधार पर कीकीपुर हरिया के पास में गाँव की तरफ खसरा नं० 270ख का कच्चा हल्का लखपाल काफिला देना शमा कानून जो श्री नफोस अहमद सखर शि० विजेन्द्र सिंह द्वारा कच्चे किपा राफा लो खात हुआ कि खसरा नं० 270ख में नवाब शि० सपुर शि० कीकीपुर हरिया ल० भवनों जिला 211मली द्वारा लगभग 12 वर्ष पूर्व फकल मिमालि कर कच्चे रूप से भवन बनाया गया उपरोक्त कामिभूमत को दि० 06/11/23 को नोडि गारी कर भवन के समकल्प में कच्चा कामिलेख मांगा गये पर-उ भवन स्वामी द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई कच्चा कामिलेख उपलब्ध कराये गये खसरा नं० 270ख आरक्षित वन भूमि है जिस पर उपरोक्त कामिभूमत द्वारा कच्चे फकल कर लगभग 12 वर्ष पूर्व भवन निर्माण कराया गया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की पार। 26963 का उल्लेख है।

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट की मान गरी की सेवा में आभार्यत

कार्यालय में डेपुटी है

प्र० य० न० मध्येप  
H2 के लुकी मूल शक्ति  
मुन्नाक म भावरपक  
कार्यालयी हेतु उपस्थित

T.C  
का.का.का  
DFO  
जिला  
01-12-23

पात्र  
विपिन कुमार  
विपिन कुमार 0030  
किलसधारी जरनाली

वन विभाग 309 परिधि (सर्किल) 1139 खण्ड (डिवीजन) 211/1/2023

अन्य अपराध 30 व 31/1/2023 प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 20/11/2023 (अधिकक्षेत्र रेंक)

बुक सं० 08

क्रम सं० 20

RC No - 18/23-24

A.C. No - 38/2023-24

1- नाम, पिता का नाम व शरमसाय शि० लकील शि० कीर्तीपुर हरिया त० भैराना जिला शामिल  
पूरा पता सहित :-

1- साक्षी का नाम पता :- हरदलन शि० लकील देवनागरि

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- कीर्तीपुर हरिया के आवसित ग्राम में भवन निर्माण  
दिनांक :- अति क्रम 20

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय कार्य नहीं  
का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग महोदय

आदि का उल्लेख :- पिनो 06/11/2023 को संदेह के आधार पर कीर्तीपुर  
हरिया वने लोकर में शौच की लकड़ रुसरा न० 270 से का सर्वे हरिया लोकरपरल  
श्री कापिल देव शर्मा, कासुनगो श्री नरमन अहमद खैरपुर श्री विजेन्द्र सिंह द्वारा  
सर्वे किया गया जोवाले है कि वक्तरा न० 270 से शरमसाय शि० लकील  
शि० कीर्तीपुर हरिया त० भैराना जिला शामिल द्वारा लगभग 10 बूट  
पूर्व पकका निर्माण कर सर्वेक्षण वक्य से भवन बनाया गया है उपरोक्त  
अभिप्रेत को दिनांक 08/11/2023 को नोडल ऑफिस कर भवन के सख्त-य  
में सर्वेक्षण अभिलेख भोगे गये। परंतु भवन रकामी द्वारा नियत शिर्षपर  
उपस्थित नहै हुआ और न ही कोई सर्वेक्षण अभिलेख उपलब्ध कराये गये  
वक्तरा न० 270 से आवसित भू भूमि है। जिस पर उपरोक्त अभिप्रेत कर  
सर्वेक्षण पकका कर लगभग 10 बूट पूर्व भवन निर्माण कराया गया है जो  
भारतीय वन अधिनियम 1937 की धारा 26 व 63 का उल्लंघन है

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भवन जी की सेवा में  
का प्रत्येक कार्य नहीं हेर उचित है

30 व 31 महोदय  
M2 केस की मूल प्रति  
सूचना व मापदण्ड कार्यालय  
हेर उचित

T.T  
शा.का.का.  
DFO  
पेशावनी  
06-12-23

विपिन कुमार  
06/10  
कीर्तीपुर हरिया

क्षेत्रीय वन अधिकारी  
कैराना रेंज (शामली)

वन विभाग ~~दुधेश्वर~~ परिधि (सांकेतिक) ~~7299 अर~~ खण्ड (डिवीजन) ~~काशी~~  
अन्य अपराध ~~नं० 26 नं० 63~~ प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० ..... दिनांक ~~30/11/23~~<sup>23</sup> (अधि क्षेत्र रेंज)

1140

बुक सं० 08

क्रम सं० 21

RCMO-19/23-24

~~RCMO-39/2023-24~~

1- नाम, पिता का नाम व ~~शिव हसन शि० कमाल् शि० श्रीवतीपुर हलिया~~ ~~श्री० कंसरा~~ ~~जिला~~  
पूरा पता सहित :- ~~काशी~~

1- साक्षी का नाम पता :- ~~हलिया शि० कमाल् शि० श्रीवतीपुर~~

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- ~~श्रीवतीपुर हलिया के आसपास क्षेत्र में अवन निर्माण/~~  
दिनांक :- ~~कारियोग~~

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) ~~विआगीप~~ कार्यवाही  
का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग ~~भदोपथ,~~  
आदि का उल्लेख :- ~~दिनांक 06/11/23 को संपद के आधार पर श्रीवतीपुर~~  
~~हलिया वन ब्लॉक में शीथ की वस्त्र खसरा नं० 270ख का सूची हलका~~  
~~लेखपाल श्री कामिल देव शर्मा, कानूनगो श्री नफीस अहमद व श्रीवतीपुर विजेन्द्र~~  
~~सिंह द्वारा कब्रें सिजा गया तो पाल हुआ कि खसरा नं० 270ख में मौरह~~  
~~शि० कमाल् शि० श्रीवतीपुर हलिया वन कंसरा जिला शामिल हमा लगभग 15~~  
~~वर्ष पूर्व प्रकृत निर्माण कर अवैध रूप में अवन बनाया गया है उपरोक्त~~  
~~अभियुक्त को दिनांक 08/11/23 को नोटिस जारी कर अवन के सम्बन्ध~~  
~~में वैन अभिलेख मांगे गये परन्तु मवन + कामी द्वारा नियत तिथि पर~~  
~~उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई वैन अभिलेख उपलब्ध करायेगा~~  
~~खसरा नं० 270ख आवंटित वक्त है जिस पर उपरोक्त अभियुक्त द्वारा~~  
~~अवैध कब्रों कर लगभग 15 वर्ष पूर्व मवन निर्माण कराया गया है जो~~  
~~आवलीप वन अधिनियम 1927 की धारा 26 ग 63 का उल्लेखन है~~  
अंश: प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री माम जी की सेवा में  
आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनाये प्रेषित है

~~प्र० व० क० भदोपथ~~  
~~मरकुर की हुल उति सूचनाये~~  
~~य भावश्यक कार्यवाही हेतु~~  
~~उचित है~~  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
कैराना रेंज (शामली)

T.C  
~~शुभ-काम~~  
दिनांक  
शामली  
01-12-23

डा. श्री  
किपिन कुमार  
कंसरा  
श्रीवतीपुर कंसरा

वन विभाग 3030 परिधि (सकिल) 1141 खण्ड (डिवीजन) 21/मली  
अन्य अपराध 37000 कालि प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 30/11/2023 (अधि क्षेत्र रेंज)  
1927 की प्यारी 26 व 63

बुक सं० 08

क्रम सं० 22

RCMO - 20/23-24

D.O. No - 40/2023-24

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :- सादाब 310 सूँका नि० बीबीपुर हरिया ज० कैराना जिला 21/मली

1- साक्षी का नाम पता :- हादब 310 फरक दैनिकीयिक

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- बीबीपुर हरिया के आसपास क्षेत्र में भवन निर्माण कातिकमला  
दिनांक :-

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय कार्यवाही का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग महोदय, आदि का उल्लेख :- दिनांक 06/11/23 को संदेह के आधार पर बीबीपुर हरिया वन ब्लॉक में गाँव की तरफ खसरा नं० 270 रख को अपने हल्का लेखपर फायल देवे शर्मा, कारन गो श्री नफीस अब्दुल कर्ीम खाने की विज्ञापन सिद्ध द्वारा अपने फिदा भाषा को बाल दुका कि खसरा नं० 270 रख में सादाब 310 सूँका नि० बीबीपुर हरिया ज० कैराना जिला 21/मली द्वारा लागू भग 11 वर्ष पूर्ण पकका निर्माण कर अवैध रूप से भवन बनाया गया है। उपरोक्त आम्बुस्त को दिनांक 08/11/2023 को नोटीस जारी कर भवन के सम्बन्ध में बिल आम्बुस्त भागे 5 परतु भवन स्वामी द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई बिल आम्बुस्त उपलब्ध कराये खसरा नं० 270 रख आरक्षित वन है जिस पर उपरोक्त आम्बुस्त द्वारा अवैध कब्जा कर लागू भग 11 वर्ष पूर्ण भवन निर्माण बनाया गया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की प्यारी 26 व 63 को उल्लंघन है।

आतः प्रसूचना रिपोर्ट की मात्र की की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सुचनाय प्रेषित है

प्र० व० मधोपप  
H2 केस की फूल जोर  
सुचनाय व आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरि त है

T.C  
का.का.का  
DFO  
शामली  
01-12-23

प्रामा  
विनिर्देश  
विनिर्देश  
ब० प०  
वीर प्रमरी वरनाकी

क्षेत्रीय वन अधिकारी  
कैराना रेंज (शामली)

वन विभाग 38 प्र० परिधि (सकिल) 1142 खण्ड (डिवीजन) शामली  
अन्य अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 30/11/23 (अधिक्षेत्र रैंक)  
1927 का पारा 26 763

बुक सं० 08 क्रम सं० 23

RC No - 2/23-24

41/2023-24

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :- गयूर साब गमरा निवासी बीबीपुर हरिया लोकराना जिला शामली

1- साक्षी का नाम पता :- हरिन साब फकरत देवि केशवपुर

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- बीबीपुर हरिया के आसपास क्षेत्र में अवन निर्माण (मिर्माण) गति प्रस्ताव  
दिनांक :-

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय कार्रवाई का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग मधेपद, आदि का उल्लेख :-  
दिनांक 08/11/23 को संदेह के आधार पर बीबीपुर हरिया वन रेंज में गाँव की तरफ खसरा नं० 270ख को सर्वे एल्का लेखन की जायज देव शर्मा, कामून गोष्ठी मकसुद अहमद, सर्वेयर श्री विजेन्द्र सिंह द्वारा सर्वे किया गया तो पाते हुआ कि खसरा नं० 270ख में गयूर साब गमरा नि० बीबीपुर हरिया लोकराना जिला शामली द्वारा लगभग 13 वर्ष पूर्व पक्का निर्माण कर के अवन बनाया गया है उपरोक्त आधिकारिक दिनांक 08/11/2023 को नोटिस जारी कर अवन के सम्बन्ध में अवन आधिकारिक भोजे को परतु अवन बकासी हटा नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हुआ और नही कोई अवन आधिकारिक उपलब्ध कराये गए खसरा नं० 270ख आसपास वन रेंज जिस पर उपरोक्त आधिकारिक द्वारा सर्वे करवा कर लगभग 13 वर्ष पूर्व अवन निर्माण कराया गया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की पारा 26 व 23 का उल्लंघन है

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट की शीमान जो की सेवा है कायदा के अन्तर्गत सूचनायें प्रेषित हैं

मधेपद, H2 केस की प्रतिलिपि सूचनायें व भावश्यक कार्रवाई हेतु उपरि

T.C. का. प्रभुकर  
वर्ति  
शामली  
01/12/23

विपिन कुमार  
विपिन कुमार  
नं० 10  
बीबीपुर नरनाली

क्षेत्रीय वन अधिकारी  
कैराना रेंज (शामली)

बुक सं 10 R.C. No - 30/2025-26 क्रम सं 17

- 1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :-
1. इस्लाम पुत्र सावि
  2. अमर पुत्र सलमादी
  3. बगविर पुत्र हुकाम
  4. बसमी पुत्र पौदा
  5. काविर पुत्र अभीदसन
  6. अकबर पुत्र जहूर
  7. इकबाल पुत्र मुदा
  8. अलीशान पुत्र हनीफ
  9. सकादीन पुत्र अख्तर
  10. गोतीराज पुत्र सौरा

- 1- साक्षी का नाम पता :-
1. श्री अजीज कुमार बुधनग वैजय कर्मी
  2. सलीम वगि हका लेखपाल
  3. श्री बिजेन्द्र सर्वेपर
  4. गंगता दैनिक श्रमिक

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- अकबरपुर सुहेदी वन ब्लॉक के खसरा नं०-30, 161, 120, 220, 221, 41 दिनांक :- 215, 223, 228, 218, 214, 294, 232 खसरो पर अवैध अतिक्रमण कर पकका निमाध करता।

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय कार्याही। का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग आदि का उल्लेख :-

सादर निवेदन कर आगत करना है कि मा० न्यायालय एन० सी० सी० के दिवली में दापर वाद सं० 915 ए/2024 के संबंध में राष्ट्रिय विभाग हका लेखपाल श्री सलीम वगि विभागीय सर्वेपर श्री बिजेन्द्र सिंह द्वारा अकबरपुर सुहेदी वन ब्लॉक के खसरा नं०-30, 161, 41, 120, 220, 221, 215, 223, 228, 218, 214, 294, 232 का संयुक्त सर्वे पैमाईश कराई गई तो पाया गया की उक्त अभियुक्तों के द्वारा खसरा नं०-30 कुल रकबा 0.5130 हेक्टेयर में से 0.5130 हेक्टेयर वन भूमि पर अर्ध अभियुक्त मुदा पुत्र किराबू १. फुस्कान पुत्र इकबाल के द्वारा व खसरा नं०-232 कुल रकबा 1.0680 हेक्टेयर में से 0.0200 हेक्टेयर वन भूमि पर अभियुक्त 1. इस्लाम पुत्र साविर के द्वारा व खसरा नं०-220 कुल रकबा 0.0200 हेक्टेयर में से 0.0200 हेक्टेयर वन भूमि पर अभियुक्त अमर पुत्र अलागदीन के द्वारा व खसरा नं०-221 कुल रकबा 0.0820 हेक्टेयर में से 0.0820 हेक्टेयर वन भूमि पर अभियुक्त 1. काविर पुत्र हुकाम १. लखमी पुत्र पौदा के द्वारा व खसरा नं०-215 कुल रकबा 3.2060 हेक्टेयर में से 0.085 हेक्टेयर वन भूमि पर अभियुक्त 1. काविर पुत्र अभीदसन २. अकबर पुत्र जहूर ३. हुकाम पुत्र आशा के द्वारा व खसरा नं०-120 कुल रकबा 0.1610 हेक्टेयर में से 0.1610 हेक्टेयर वन भूमि पर अभियुक्त 1. गोतीराज पुत्र सौरा २. अमर पुत्र सलमादी ३. रामकुमार पुत्र पल्लु ३. रामकुमार पुत्र गलखान १. रामगोहर पुत्र पुत्र गौरी के द्वारा व खसरा नं०-218 कुल रकबा 0.1020 हेक्टेयर में से 0.1020 हेक्टेयर वन भूमि पर अभियुक्त 1. हरिया पुत्र रामारण २. ओमदीर पुत्र चुली ३. प्रदीप पुत्र लोती १. फुस्कान पुत्र अख्तर ५. सलीम पुत्र धलसिंह के द्वारा व खसरा नं०-228 कुल रकबा 0.120 कुल रकबा 0.120 हेक्टेयर वन भूमि पर अभियुक्त 1. गंगता पुत्र हुसना के द्वारा व खसरा नं०-214 कुल रकबा 0.4300 हेक्टेयर में से 0.4300 हेक्टेयर वन भूमि पर अभियुक्त



1145

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिली।

पत्रांक /

कैराना, दिनांक 04/10/25

नोटिस

(अर्न्तगत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B ;

सेवा में,

कमीवीरपुरा हुकमा निवासी  
अकबरपुर सुन्हेटी, थाना कैराना  
तहसील कैराना जिला शामिली

अद्याहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम-अकबरपुर सुन्हेटी तहसील कैराना जनपद शामिली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या-221 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अर्न्तगत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 10/10/25 को समय 11:00AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामिली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजिकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 04/10/25 को समय लगभग 10:30AM बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



  
0 (राजेश कुमार)  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
कैराना रेंज  
शामली

Kairana SO 247774

EU774285744IN, IVR No: 18002666868  
10-10-2025 09:23:57, Counter No. 1

To: KARAMVEER  
AKBARPUR SUNHENTI, SHAMLI, 247774  
From: REGIONAL FOREST OFFICER  
RFN, SHAMLI, 247774  
Base Amt: 19.00  
To: KARAMVEER  
P.Mode: Cash  
POD:No, www.indiapost.gov.in

भारतीय डाक



India Post  
Dak Seva Jan Seva

1146

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिली।

पत्रांक /

कैराना दिनांक 04/10/25

नोटिस

(अर्न्तगत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B )

सेवा में,

जयपाल पुत्र पलटू निवासी  
अकबरपुर सुन्हटी ग्राम कैराना  
तहसील कैराना जिला शामिली

अर्घाहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम-अकबरपुर सुन्हटी तहसील कैराना जनपद शामिली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खरसरा संख्या-120 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अर्न्तगत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 10/10/25 को समय 10:30 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामिली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजिष्कृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 04/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

Kairana SO 247774  
EU251576035IN, IVR No: 18002666868  
10-10-2025 09:08:19, Counter No. 1  
To: JAIPAL  
AKBARPUR SUNHTI, SHAMLI, 247774  
From: REGIONAL FOREST OFFICER

India Post  
Dial: 1800-121-121



(राजेश कुमार)  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
कैराना रेंज  
शामली

P. Mode: Cash  
POD: No, www.indiapost.gov.in

भारतीय डाक  
भारत सेवा और विकास

# कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिली।

पत्रांक /

कैराना, दिनांक 04/10/25

## नोटिस

(अर्न्तगत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B )

सेवा में,

मोतीराम पुत्र समैरा भिवाली  
अकबरपुर सुन्हेटी घाना कैराना  
तहसील कैराना जिला शामिली

अद्योहरस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम ~~अकबरपुर सुन्हेटी~~ तहसील कैराना जनपद शामिली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या -120 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अर्न्तगत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 04/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामिली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजिकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अज दिनांक 04/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

Kairana 30 247774  
EU251576061IN, IVR No: 18002666888 Post  
10-10-2025 09:09:12, Counter No. 04  
To: MOTIRAM  
AKBARPUR SUNHEETI, SHAMLI, 247774  
From: REGINOL FOREST OFFICER  
KRN, SHAMLI, 247774  
Base Amt: 19.00  
To: MOTIRAM  
P.Mode: Cash  
POD:No, www.indiapost.gov.in



  
र (राजेश कुमार)  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
कैराना रेंज  
शामली

1148

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना, दिनांक 04/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B )

सेवा में,

लक्ष्मी पुत्र पौद्धा निवासी  
ठक्करपुर सुन्हीटी थाना कैराना  
तहसील कैराना, जिला शामली

अद्याहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम ठक्करपुर सुन्हीटी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या-१२1 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 10/10/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजिकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 04/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
कैराना रेंज  
शामली

Kairana SO 247774  
EU2515760581N, IVR No: 18002666868  
10-10-2025 09:19:38, Counter No  
To: LAKHMI  
AKBARPURSUNHEHTI, SHAMLI, 247774  
From: REGIONAL FOREST OFFICER  
KRN, SHAMLI, 247774  
Base Amt: 19.00  
To: LAKHMI  
P.Mode: Cash  
POD:No, www.indiapost.gov.in





वन विभाग उदयपुर खरीद (सर्किल) एच.ए. 1150 खण्ड (डिबीवन) शामिल

अन्य अपराध क्र. 08 व 09 प्रसूचना (रिपोर्ट) सं. दिनांक 29/11/23 (अधिकार क्षेत्र)

बुक सं. 08

कम सं. 18

REN-16/23-24

D.O. No-36/2023-24

1- नाम, पिता का नाम व दारुन पुत्र सुंदर नि. वीवीपुर हटिया त. कराना जिला शामिल पुरा पता सहित :-

1- साक्षी का नाम पता :- दारुन स/न फकरन दीनक, प्रसन्न

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- वीवीपुर हटिया के आसपास क्षेत्र में भवन निर्माण/ दिनांक :- अतिक्रमण

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय कार्यावाही का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के खीरे और प्रमाण महोदय आदि का उल्लेख :- दिनांक 06/11/23 को सफेद के आचार पर वीवीपुर हटिया वन ब्लाक में गाँव की तरफ खसरा नं. 270 ख का सर्वे हलका लेखपाल श्री लबकरा, काननगों श्री नफीस अहमद सबेपर श्री विजेन्द्र सिंह द्वारा सर्वे किया गया। तब ज्ञात हुआ कि खसरा नं. 270 ख में दारुन पुत्र सुंदर नि. वीवीपुर हटिया त. कराना जिला शामिल द्वारा लगभग 08 वर्ष पूर्व पक्का निर्माण कर अतिक्रमण से भवन बनाया गया है। उपरोक्त अभियुक्त को दिनांक 08/11/23 को गोटिस जारी कर भवन के सम्बंध में वैध अभिलेख मांगे गये। परन्तु भवन स्वामी द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हुआ और नही कोई वैध अभिलेख उपलब्ध कराये गये। खसरा नं. 270 ख आसपास वन है। जिसपर उपरोक्त अभियुक्त द्वारा अतिक्रमण कर लगभग 08 वर्ष पूर्व भवन निर्माण कराया गया है। जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 63 का उल्लंघन है।

अतः तथ्य सूचना रिपोर्ट प्रमाण जी की लेना से आवश्यक कार्यावाही हेतु सूचना दी है।

महोदय को भी सूचना दी जायेगी।  
सूचना के अंतर्गत सूचित है।

T.C  
काननगों  
01/12/22

साक्षी  
विपिन कुमार  
विपिन कुमार वरुण  
वीट समारोह - वरुणा

वंचय की अधिकारी

वन विभाग उत्तरांचल  
अन्य अपराध प्रतिकार विभाग  
पुस्तक सं० 08  
दिनांक 29/11/23  
कम सं० 16

1151

R.C. No- 14/2023-24  
D.C. No- 34/2023-24

- 1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :- तस्स्वर पुत्र अस्गार नि० बीबीपुर हरिया त० कैराना जिला शामली
- 1- साक्षी का नाम पता :- हारून अ० फकरन दैनिक श्रमिक
- 3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- बीबीपुर हरिया के असाहित क्षेत्र में भवन निर्माण प्रतिक दिनांक :-
- 4- मूल्य :-
- 5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय कार्यावाही का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के अंतर्गत और प्रमाण प्रदोषण आदि का ब्यौता :-  
 वन ब्लॉक में गाँव की तरफ खसरा न० 270 का सर्वे दल का सर्वे भी लकैरा, कानुनगणों श्री नफीस अहमद सर्वेयर की विजेन्द्र सिंह द्वारा सर्वे किया गया। तो उस दूआ कि खसरा न० 270 का तस्स्वर पुत्र अस्गार नि० बीबीपुर हरिया त० कैराना जिला शामली द्वारा लगभग 080 पूर्ण पक्का निर्माण कर अर्ध रूप से भवन बनाया गया है। उपरोक्त अभियुक्त को दिनांक 08/11/23 को नोटिस जारी का भवन के सम्बंध में वैध अभिलेख माँगे गये। परन्तु भवन स्वामी द्वारा निपट लिपि पर उपस्थित नहीं हुआ और नही कोई वैध अभिलेख उपलब्ध करके गा खसरा न० 270 का असाहित वन घुमि है। जिस पर उपरोक्त अभियुक्त अर्ध कठका कर लगभग 08 वर्ष पूर्व भवन निर्माण कराया गया है। जो भारतीय वनाधिनिमम 1924 की धारा 26 व 63 का उल्लंघन है।

TC  
 08/11/23

अतः प्राम सूचना रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में आकरम कार्यावाही हेतु प्रेषित है।

30.09.23  
 H2 केस की प्रत जारी  
 धुनबदी व आवश्यक  
 काकीवर्षी हेतु उपलब्ध है।

श्रीमान  
 विपिन कुमार  
 चठरठ  
 वीट प्रमारी-कानावा

वेदीय व अविद्यता  
 काना रोज (शामली)

1152

PETITIONER:  
T.N. GODAVARMAN THIRUMULKPAD

ANNEXURE-4

Vs.

RESPONDENT:  
UNION OF INDIA & ORS.

DATE OF JUDGMENT: 12/12/1996

BENCH:  
J.S. VERMA, B.N. KIRPAL

ACT:

HEADNOTE:

JUDGMENT:

(With W.P.(Civil) No. 171/96)

## O R D E R

In view of the great significance of the points involved in these matters, relating to the protection and conservation of the forests throughout the country, it was considered necessary that the Central Government as well as the Governments of all the States are heard. Accordingly, notice was issued to all of them. We have heard the learned Attorney General for the Union of India, learned counsel appearing for the States and the parties/applicants and, in addition, the learned Amicus Curiae, Shri H.N. Salve, assisted by Sarvashri U. U. Lalit, Mahender Das and P.K. Manohar. After hearing all the learned counsel, who have rendered very able assistance to the court, we have formed the opinion that the matters require a further indepth hearing to examine all the aspects relating to the National Forest Policy. For this purpose, several points which emerged during the course of the hearing require further study by the learned counsel and, therefore, we defer the continuation of this hearing for some time to enable the learned counsel to further study these points.

However, we are of the opinion that certain interim directions are necessary at this stage in respect of some aspects. We have heard the learned Attorney General and the other learned counsel on these aspects.

It has emerged at the hearing, that there is a misconception in certain quarters about the true scope of the Forest Conservation Act, 1980 (for short the 'Act') and the meaning of the word "forest" used therein. There is also a resulting misconception about the need of prior approval of the Central Government, as required by Section 2 of the Act, in respect of certain activities in the forest area which are more often of a commercial nature. It is necessary to clarify that position.

The Forest Conservation Act, 1980 was enacted with a view to check further deforestation which ultimately results in ecological imbalance; and therefore, the provisions made therein for the conservation of forests and forest matters connected therewith, must apply to all forests irrespective of the nature of ownership or classification thereof. The

1153

word "forest: must be understood according to its dictionary meaning. This description cover all statutorily recognised forests, whether designated as reserved, protected or otherwise for the purpose of Section 2(i) of the Forest Conservation Act. The term "forest land", occurring in Section 2, will not only include "forest" as understood in the dictionary sense, but also any area recorded as forest in the Government record irrespective of the ownership. This is how it has to be understood for the purpose of Section 2 of the Act. The provisions enacted in the Forest Conservation Act, 1980 for the conservation of forests and the matters connected therewith must apply clearly to all forests so understood irrespective of the ownership or classification thereof. This aspect has been made abundantly clear in the decisions of this Court in *Ambica Quarry Works and ors. versus State of Gujarat and ors.* (1987 (1) SCC 213), *Rura' Litigation and Entitlement Kendra versus State of U.P.* (1989 Suppl. (1) SCC 504), and recently in the order dated 29th November, 1996 in *W.P.(C) No.749/95 (Supreme Court Monitoring Committee vs. Mussorie Dehradun Development Authority and ors.)*. The earlier decision of this Court in *State of Bihar Vs. BanshiRam Modi and ors.* (1985 (3) SCC 643) has, therefore, to be understood in the light of these subsequent decisions. We consider it necessary to reiterate this settled position emerging from the decisions of this court to dispel the doubt, if any, in the perception of any State Government or authority. This has become necessary also because of the stand taken on behalf of the State of Rajasthan, even at this late stage, relating to permissions granted for mining in such area which is clearly contrary to the decisions of this court. It is reasonable to assume that any State Government which has failed to appreciate the correct position in law so far, will forthwith correct its stance and take the necessary remedial measures without any further delay.

We further direct as under:-

I. General:

1. In view of the meaning of the word "forest" in the Act, it is obvious that prior approval of the Central Government is required for any non-forest activity within the area of any "forest". In accordance with Section 2 of the Act, all on-going activity within any forest in any State throughout the country, without the prior approval of the Central Government, must cease forthwith. It is, therefore, clear that the running of saw mills of any kind including veneer or ply-wood mills, and mining of any mineral are non-forest purposes and are, therefore, not permissible without prior approval of the Central Government. Accordingly, any such activity is prima facie violation of the provisions of the Forest Conservation Act, 1980. Every State Government must promptly ensure total cessation of all such activities forthwith.

2. In addition to the above, in the tropical wet ever-green forests of Tirap and Changlang in the State of Arunachal Pradesh, there would be a complete ban on felling of any kind of trees therein because of their particular significance to maintain ecological balance needed to preserve bio-diversity. All saw mills, veneer mills and ply-wood mills in Tirap and Changlang in Arunachal Pradesh and within a distance of 100 Kms. from its border, in Assam, should also be closed immediately. The State Governments of Arunachal Pradesh and Assam must ensure compliance of this direction.

3. The felling of trees in all forests is to remain suspended except in accordance with the Working Plans of the

1154

State Governments, as approved by the Central Government. In the absence of any Working Plan in any particular State, such as Arunachal Pradesh, where the permit system exists, the felling under the permits can be done only by the Forest Department of the State Government or the State Forest Corporation.

4. There shall be a complete ban on the movement of cut trees and timber from any of the seven North-Eastern States to any other State of the country either by rail, road or water-ways. The Indian Railways and the State Governments are directed to take all measures necessary to ensure strict compliance of this direction. This ban will not apply to the movement of certified timber required for defence or other Government purpose. This ban will also not affect felling in any private plantation comprising of trees planted in any area which is not a forest.

5. Each State Government should constitute within one month an Expert Committee to:

- (i) Identify areas which are "forests", irrespective of whether they are so notified, recognised or classified under any law, and irrespective of the ownership of the land of such forest;
- (ii) identify areas which were earlier forests but stand degraded, denuded or cleared; and
- (iii) identify areas covered by plantation trees belonging to the Government and those belonging to private persons.

6. Each State Government should within two months, file a report regarding:-

- (i) the number of saw mills, veneer and plywood mills actually operating within the State, with particulars of their real ownership;
- (ii) the licensed and actual capacity of these mills for stock and sawing;
- (iii) their proximity to the nearest forest;
- (iv) their source of timber.

7. Each State Government should constitute within one month, an Expert Committee to assess:

- (i) the sustainable capacity of the forests of the State qua saw mills and timber based industry;
- (ii) the number of existing saw mills which can safely be sustained in the State;
- (iii) the optimum distance from the forest, qua that State, at which the saw mill should be located.

8. The Expert Committees so constituted should be requested to give its report within one month of being constituted.

9. Each State Government would constitute a Committee comprising of the Principal Chief Conservator of Forests and another Senior Officer to oversee the compliance of this order and file status reports.

II. FOR THE STATE OF JAMMU & KASHMIR:

1. There will be no felling of trees permitted in any

1155

"forest", public or private. This ban will not affect felling in any private plantations comprising of trees planted by private persons or the Social Forestry Department of the State of Jammu & Kashmir and in such plantations, felling will be strictly in accordance with law.

2. In 'forests', the State Government may either departmentally or through the State Forest Corporation remove fallen trees or fell and remove diseased or dry standing timber, and that only from areas other than those notified under the Jammu & Kashmir Wild Life Protection Act, 1978 or any other law banning such felling or removal of trees.

3. For this purpose, the State Government will constitute an Expert Committee comprising of a representative being an IFS Officer posted in the State of Jammu & Kashmir, a representative of the State Government, and two private experts of eminence and the Managing Director of the State Forest Corporation (as Member Secretary) who will fix the qualitative and quantitative norms for the felling of fallen trees, diseased and dry standing trees. The State shall ensure that the trees so felled and removed by it are strictly in accordance with these norms.

4. Any felling of trees in forest or otherwise or any clearance of land for execution of projects, shall be in strict compliance with the Jammu & Kashmir Forest Conservation Act, 1990 and any other laws applying thereto. However, any trees so felled, and the disposal of such trees shall be done exclusively by the State Forest Corporation and no private agency will be permitted to deal with this aspect. This direction will also cover the submerged areas of the THEIN Dam.

5. All timber obtained, as aforesaid or otherwise, shall be utilised within the State, preferably to meet the timber and fuel wood requirements of the local people, the Government and other local institutions.

6. The movement of trees or timber (sawn or otherwise) from the State shall, for the present, stand suspended, except for the use of DGS & D, Railways and Defence. Any such movement for such use will -

- a) be effected after due certification, consignment-wise made by the Managing Director of the State Corporation which will include certification that the timber has come from State Forest Corporation sources; and
- b) be undertaken by either the Corporation itself, the Jammu & Kashmir Forest Department or the receiving agency.

7. The State of Jammu & Kashmir will file, preferably within one month from today, a detailed affidavit specifying the quantity of timber held by private persons purchased from State Forest Corporation Depots for transport outside the State (other than for consumption by the DGS & D, Railways and Defence). Further directions in this regard may be considered after the affidavit is filed.

8. No saw mill, veneer or plywood mill would be permitted to operate in this State at a distance of less than 8 Kms. from the boundary of any demarcated forest areas. Any existing mill falling in this belt should be relocated forthwith.

III. FOR THE STATE OF HIMACHAL PRADESH AND THE HILL REGIONS OF THE STATES OF UTTAR PRADESH AND WEST BENGAL:

1. There will be no felling of trees permitted in any

1156

forest, public or private. This ban will not affect felling in any private plantation comprising of trees planted in any area which is not a 'forest'; and which has not been converted from an earlier "forest". This ban will not apply to permits granted to the right holders for their bonafide personal use in Himachal Pradesh.

2. In a 'forest', the State Government may either departmentally or through the State Forest Corporation remove fallen trees or fell and remove diseased or dry standing timber from areas other than those notified under Section 18 or Section 35 of the Wild Life Protection Act, 1972 or any other Act banning such felling or removal of trees.

3. For this purpose, the State Government is to constitute an expert Committee comprising a representative from MOEF, a representative of the State Government, two private experts of eminence and the MD of the State Forest Corporation (as Member Secretary), who will fix the qualitative and quantitative norms for the felling of fallen trees and diseased and standing timber. The State shall ensure that the trees so felled and removed are in accordance with these norms.

4. Felling of trees in any forest or any clearance of forest land in execution of projects shall be in strict conformity with the Forest Conservation Act, 1980 and any other laws applying thereto. Moreover, any trees so felled, and the disposal of such trees shall be done exclusively by the State Forest Corporation and no private agency is to be involved in any aspect thereof.

#### IV. FOR THE STATE OF TAMIL NADU:

1. There will be a complete ban on felling of trees in all forest areas'. This will however not apply to:-

- (a) trees which have been planted and grown, and are not of spontaneous growth, and
- (b) are in areas which were not forests earlier, but were cleared for any reason.

2. The State Government, within four weeks from today, is to constitute a committee for identifying all "forests".

3. Those tribals who are part of the social forestry programme in respect of patta lands, other than forests, may continue to grow and cut according to the Government Scheme provided that they grow and cut trees in accordance with the law applicable.

4. In so far as the plantations (tea, coffee, cardamom etc.) are concerned, it is directed as under:

a) The felling of shade trees in these plantations will be -

- i) limited to trees which have been planted, and not those which have grown spontaneously;
- ii) limited to the species identified in the TANTEA report;
- iii) in accordance with the recommendations of (including to the extent recommended by) TANTEA; and
- iv) under the supervision of the statutory committee constituted by the State Government.

b) In so far as the fuel trees planted by the plantations for fuel wood outside the forest area are concerned, the State Government is directed to obtain within four weeks, a report from TANTEA as was done in the case of Shade trees,

1157

and the further action for felling them will be as per that report. Meanwhile, eucalyptus and wattle trees in such area may be felled by them for their own use as permitted by the statutory committee.

c) the State Government is directed to ascertain and identify those areas of the plantation which are a "forest" and are not in active use as a plantation. No felling of any trees is however to be permitted in these areas, and sub-  
paras (b) and (c) above will not apply to such areas.

d) There will be no further expansion of the plantations in a manner so as to involve encroachment upon (by way of clearing or otherwise) of "forests".

5. As far as the trees already cut, prior to the interim order of this court dated December 11, 1995 are concerned, the same may be permitted to be removed provided they were not so felled from Janmam land. The State Government would verify these trees and mark them suitably to ensure that this order is duly complied with. For the present, this is being permitted as a one time measure.

6. Insofar as felling of any trees in Janmam lands is concerned (whether in plantations or otherwise), the ban on felling will operate subject to any order made in the Civil Appeal Nos. 367 to 375 of 1977 in C.A. Nos. 1344-45 of 1976. After the order is made in those Civil Appeals on the I.As. pending therein, if necessary, this aspect may be re-examined.

7. This order is to operate and to be implemented, notwithstanding any order at variance, made or which may be made by any Government or any authority, tribunal or court, including the High Court.

The earlier orders made in these matters shall be read, modified wherever necessary to this extent. This order is to continue, until further orders. This order will operate and be complied with by all concerned, notwithstanding any order at variance, made or which may be made hereafter, by any authority, including the Central or any State Government or any court (including High Court) or Tribunal.

We also direct that notwithstanding the closure of any saw mills or other wood-based industry pursuant to this order, the workers employed in such units will continue to be paid their full emoluments due and shall not be retrenched or removed from service for this reason.

We are informed that the Railway authorities are still using wooden sleepers for laying tracks. The Ministry of Railways will file an affidavit giving full particulars in this regard including the extent of wood consumed by them, the source of supply of wood, and the steps taken by them to find alternatives to the use of wood.

I.A. Nos. 7,9,10,11,12,13 and 14 in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 and I.A. Nos. 1,3,4,5,6,7,8 & 10 in Writ Petition (Civil) No. 171 of 1996 are disposed of, accordingly.

List the matter on February 25, 1997 as part-heard for further hearing.